आईएसएसएन – 2457-015X

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

वर्ष 35 अंक 02
अप्रैल - सितंबर 2023

सदस्य
Member

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

संपादक मंडल 1

संपादकीय 2

भाषण

- अनिश्चित दौर में केंद्रीय बैंकिंग : भारतीय अनुभव – शक्तिकान्त दास 5

आलेख

- जलवायु परिवर्तन : एक उभरता वित्तीय जोखिम – प्रेम रंजन प्रसाद सिंह 12
- भारत की G-20 अध्यक्षता : एक महत्वपूर्ण पड़ाव – गंगा दत्त पंत 16
- एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म – सजिता मेनन 22
- सूक्ष्मवित्त ऋण : एक ऐतिहासिक परिवर्त्तन – दिवाकर झा 25
- डिजिटल मुद्रा का वर्तमान और भविष्य – डॉ. प्रशांत रामटेके 29
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका – अभिनव श्रीवास्तव 33
- भारत में डिजिटल क्रांति – प्रहलाद सबनानी 36
- वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में फ्रीबीज़ का औचित्य – नरेंद्र कुमार 39

स्थायी स्तंभ

- रेग्युलेटर की नजर से – ब्रिज राज 41
- घूमता आईना

  राष्ट्रीय खंड – डॉ. करुणेश तिवारी 45

  अंतरराष्ट्रीय खंड – डॉ. गौतम प्रकाश 51

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा, महाप्रबंधक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा एक्मे पैक्स और प्रिंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई से मुद्रित।
इंटरनेट: https://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।
E-mail: rajbhashaco@rbi.org.in फोनः 022-26572801

संपादक मंडल

संरक्षक

एन सारा राजेन्द्र कुमार
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

अध्यक्ष

पंकज कुमार
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रबंध संपादक

काज़ी मुहम्मद ईसा
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

उप प्रबंध संपादक

डॉ. सुशील कृष्ण गोरे
उप महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

कार्यकारी संपादक

अरविंद कुमार चतुर्वेदी
उप महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

सदस्य-सचिव

राहुल राजेश
प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

सदस्य

ब्रिज राज
मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय रिज़र्व बैंक

सुप्रिया पै
उप महाप्रबंधक एवं संकाय,
भारतीय रिज़र्व बैंक

अभिषेक कुमार
उप महाप्रबंधक एवं संकाय,
भारतीय रिज़र्व बैंक

दिवाकर झा
सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय
स्टेट बैंक ग्रामीण बैंकिंग संस्थान
हैदराबाद

राजीव जमुआर
सहायक महाप्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400051
कॉर्पोरेट ईमेल: rajbhashaco@rbi.org.in

संपादकीय सहयोग

राधेश्याम मिश्र
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

कला सहयोग

अभय मोहिते
सहायक प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संपादकीय

प्रिय पाठकगण,

चिंतन

पुनः प्रभातं पुनरेव शर्वरी पुनः शशांकः पुनरुद्यते रविः । कालस्य किं गच्छति याति यौवनं तथापि लोकः कथितं न बुध्यते ॥

फिर से प्रभात, फिर से रात्रि, फिर से चंद्रमा और फिर से सूरज का उगना! काल का क्या जाता है? कुछ नहीं, यह तो यौवन जाता है (पर), लोग कहां समझते हैं।

परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन ही शाश्वत है। गुज़रे हुए वक़्त से व्यक्ति सीखता है, कठिनाइयों और आसानियों का फर्क़ और बेहतर समझने लगता है, क्या खोया और क्या पाया से नया सबक़ हासिल करता है, न दुनिया रुकती है और न ही व्यक्ति थकता है। वर्तमान, बीते हुए कल को नये ज़माने में परिवर्तित कर देता है और किए गए नव-प्रयास, नई रौशनी में देश और समाज को नई दिशाएं प्रदान करते हैं। इस सब के मध्य में व्यक्ति ही है जिसके दम से कायनात अपने विविध रूपों में स्वयं को उद्घाटित करती रहती है और इतिहासकार, अर्थशास्त्री, क़लमकार अपने-अपने साहित्य का निर्माण करते रहते हैं। नई बुनियादें रखी जाती हैं, नये ख़्वाब बुने जाते हैं, नव-संकल्पनाओं का उदय होता है, नई नीतियां, नवोन्मेष और भविष्य के लिए तैयारियों की ज़मीन को हमवार करने की प्रबल इच्छा विकास के चक्र को और भी गतिमान करती रहती है।

बैंकिंग उद्योग, अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। बदलते समय के साथ-साथ नई परिस्थितियों ने आर्थिक और वित्तीय समीकरणों को गहन समीक्षाओं की परिधि में ला दिया है। कोविड महामारी, युक्रेन-युद्ध तथा वैश्विक मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. शक्तिकान्त दास ने आज के अनिश्चितता भरे दौर में आर्थिक विकास की चिंताओं के प्रति अपने सरोकार को व्यक्त करते हुए कहा है कि और “कठिन बोझ उठाने” के लिए तैयार रहना है, हम वृद्धि संबंधी चिंताओं से बेख़बर नहीं रह सकते। समय ने परंपरागत एवं अपरंपरागत प्रणालियों के संतुलित उपायों का वरण करने की चुनौती पेश कर दी है। गवर्नर महोदय का यह कथन/आव्हान है कि अपने सामूहिक प्रयास, निर्भीक चयन, नवाचार और सच्ची दृढ़ता के बूते हम निश्चित ही विजयी होंगे, ने देश के आर्थिक गलियारे में नए प्राण फूंक दिए हैं।

अनुचिंतन

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।।

अर्थात् – व्यक्ति के परिश्रम करने से ही उसके काम पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से उसके काम पूरे नहीं होते। जैसे सोये हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, उसके लिए शेर को परिश्रम करना पड़ता है।

समृद्धि की खनक उद्यमिता की तिजोरी में प्रश्रय पाती है। विकास की कुंजी तथा विकास-व्यवधानों की काट उद्यमिता में निहित है। उद्यमिता सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि हर समय में इसका सर्वाधिक योगदान रहा है। उद्यमिता एक व्यवहार, विज्ञान एवं अवसर के साथ-साथ एक कर्मदृष्टि एवं दृष्टिकोण भी है। इतिहास साक्षी है कि आर्थिक उन्नति उन लोगों के द्वारा सम्भव व विकसित हो पाई है जो उद्यमी रहे हैं और नई पद्धति को अपनाने वाले हैं, जो सुअवसर का लाभ उठाने तथा जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। उद्यमियों को अक्सर अर्थव्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। प्रबंधकीय क्षमताओं का विकास करना, व्यवसाय/संगठन का निर्माण करना, बेहतर जीवन-स्तर प्रदान करना तथा अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करना उद्यमिता का मूलमंत्र है। इसके लिए स्वप्रेरणा, दूरदृष्टि, जुनून के साथ काम करने की इच्छा, आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रबंधकीय कौशल, चुनौतियों को पहचानना, नई योजनाएं तैयार करना, कार्यान्वयन और परिणाम पर निगाह रखना, सकारात्मक मानसिकता और बेहतर कर गुज़रने की लालसा होना अनिवार्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय इन्हीं गुणों से लैस होकर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है।

देश ने आर्थिक विकास के मोर्चे पर नये स्वप्न देखे हैं और उन्हें साकार करने की रणनीतियां, कार्यनीतियां समस्त क्षेत्रों में अमल में लाई जा रही हैं। देश को वर्ष 2047 तक उन्नत अर्थव्यवस्था में तबदील करने और अमृतकाल में 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प ने नई उम्मीदों के चिराग़ रौशन कर दिए हैं। वर्ष 1980-81, 2000-01, 2010-11, 2020-21 में जहां भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमश: 189 तथा 476 बिलियन, 1.71 ट्रिलियन, 2.67 ट्रिलियन अमरीकी डालर के आकार में थी वहीं 2023 में देश 3.732 ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारतीय बैंकिंग उद्योग को, देश के भावी संकल्प को पूरा करने में अग्रसक्रिय भूमिका निभानी होगी। देश आशान्वित इसलिए है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है और देश के विकास का तुलनपत्र दिन-प्रतिदिन सुदृढ़ होता जा रहा है। समस्त राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद भारत जीडीपी वृद्धि सूची में विश्व में अमरीका, चीन, जापान, जर्मनी के बाद पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और वर्ष 2023-24 में 6.5% से 6.8% की सुदृढ़ वृद्धि दर बनाए रखने के निकट है। आइये हम सभी यह संकल्प लें कि देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में समवेत रूप से गहन प्रयास जारी रखेंगे और आगामी वर्ष, देश के लिए नये आर्थिक मानकों, प्रतिमानों और नई ऊंचाइयों का वर्ष सिद्ध हो।

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' के पृष्ठ आपके समक्ष वर्तमान एवं ज्वलंत आर्थिक सरोकारों के विषयों को प्रस्तुत करते रहने की परंपरा को क़ायम रखे हुए हैं। 'अनिश्चित दौर में केंद्रीय बैंकिंग : भारतीय अनुभव' विषय पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा दिए गए व्याख्यान से आर्थिक मुद्दों की परत-दर-परत खुलती हुई दृष्टिगत होगी, जलवायु परिवर्तन : एक उभरता हुआ वित्तीय जोखिम, भारत की जी-20 अध्यक्षता : एक महत्वपूर्ण पड़ाव, एफएक्स-रिटेल प्लेटफार्म, सूक्ष्म वित्त ऋण-एक ऐतिहासिक परिवर्तन, डिजिटल मुद्रा का वर्तमान और भविष्य, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका, भारत में डिजिटल क्रांति, वर्तमान आर्थक परिदृश्य में फ्रीबीज का औचित्य और साथ में रेग्युलेटर की नज़र से एवं घूमता आईना (राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खंड), आपको नई जानकारी एवं ज्ञान से इस प्रकार भर देंगे जो

आपको पुस्तकालयों में महीनों अनेक पुस्तकों के अध्ययन से भी हासिल नहीं हो पाता।

मित्रो, कोविड महामारी के दौरान विशेष सावधानी के रूप में पत्रिका ई रूप में प्रकाशित की जा रही थी, चूंकि अब स्थितियां सामान्य हो गई हैं, इसलिए पत्रिका मुद्रित रूप में पुन: आपके हाथों में सौंपते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। संपादकीय मंडल सतत रूप से प्रयासरत है कि आपके समक्ष अद्यतन विषयों की सामग्री प्रस्तुत की जाए ताकि बैंककर्मियों, वित्तीय संस्थाओं से जुड़े कार्मिकों, संकाय-सदस्यों, विद्यार्थियों और अन्य सभी सुधी पाठकों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

अकबर ने बीरबल से कहा था कि... इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दु:ख हो और दु:ख में पढ़ूं तो खुशी हो...! बीरबल ने लिखा... **ये वक्त गुज़र जाएगा!**

कोविड और आर्थिक चुनौतियों के विषम दौर से देश गुज़र चुका है, लेकिन धरती और धरती पर मानवीय जीवन के बने रहने तक समर शेष रहेगा...

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

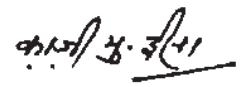

(काजी मु. ईसा)
महाप्रबंधक एवं प्रबंध संपादक

अनिश्चित दौर में केंद्रीय बैंकिंग : भारतीय अनुभव

[सेंट्रल बैंकिंग, लंदन, यूके द्वारा आयोजित समर मीटिंग्स में 13 जून, 2023 को दिया गया उद्घाटन भाषण]

- शक्तिकान्त दास, *गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक*

हाल के दिनों में, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से, केंद्रीय बैंकों- जो मौद्रिक और वित्तीय प्रणालियों के मूल में हैं- को अपने पारंपरिक अधिदेश से परे "कठिन बोझ उठाने" के लिए कहा गया है। केंद्रीय बैंकों ने, तीन वर्षों की अवधि में ही तीन ब्लैक स्वान घटनाओं - महामारी, यूक्रेन में युद्ध और वैश्विक मौद्रिक नीति सामान्यीकरण के अभूतपूर्व पैमाने और गति - के दौरान बिल्कुल नई परिस्थितियों में अपना रास्ता तय किया है। अभी हाल ही में, केंद्रीय बैंकों को महामारी से क्षतिग्रस्त हुई अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने के काम से तेजी से दिशा बदलते हुए, अपने पास मौजूद सभी उपायों से लैस होकर मुद्रास्फीति से लड़ना पड़ा। अभी जबकि मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई चल ही रही थी कि कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में बैंकिंग उथल-पुथल ने वित्तीय स्थिरता और मूल्य स्थिरता के बीच अजीब द्वंद्व खड़ा कर दिया था। वैश्विक उथल-पुथल का यह असाधारण दौर वास्तव में केंद्रीय बैंकों और केंद्रीय बैंकिंग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है।

2. आज अपने संबोधन में, मैं कोविड-19 की अनेक चुनौतियों, मुद्रास्फीति में वृद्धि, वृद्धि में धीमापन और वित्तीय स्थिरता के खतरों के प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्रवाई पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। इस दौरान मैंने जो कुछ सीखा है उसे साझा करने जा रहा हूँ जो भविष्य में ऐसी घटनाओं के लिए केंद्रीय बैंक परिचालन प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं।

कोविड-19 कार्रवाई

3. कोविड-19 महामारी ने जीवन और आजीविका की अकल्पनीय हानि करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह क्षत-विक्षत कर दिया था। भारत में, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के बीच हमारी कार्रवाई त्वरित और निर्णायक थी। हम शायद उन पहले कुछेक केंद्रीय बैंकों में से थे, जिसने महत्वपूर्ण गतिविधियों में लगे हुए लगभग 200 अधिकारियों, कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं के साथ एक विशेष संगरोध सुविधा (क्वारंटिन फैसिलिटी) स्थापित की थी, ताकि बैंकिंग और वित्तीय बाजार परिचालनों और भुगतान प्रणालियों में कारोबार निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। हमारी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने दो महीने (मार्च-मई 2020) की अवधि में नीतिगत रिपो दर में 115 बीपीएस की बड़ी कटौती करके त्वरित कार्रवाई की। उन्नत अर्थव्यवस्था (एई) के केंद्रीय बैंकों के विपरीत, जिन्होंने शून्य की सीमा तक दरों को कम कर दिया था, हमने अपनी नीतिगत रिपो दर को 4 प्रतिशत के अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य से कम नहीं किया। चलनिधि के मोर्चे पर अन्य कार्रवाइयों के साथ, इससे, मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाए बिना वृद्धि को अवलंब देने में हमें मदद मिली। इससे बाजार में व्यवधान पैदा किए बिना, बाद में तेजी से रुख बदलने में भी मदद मिली।

4. दर में कटौतियों के साथ-साथ, हमने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने, विश्वास बहाल करने और बाजार गतिविधि को पुनर्जीवित करने के लिए पारंपरिक और अपारंपरिक - दोनों उपायों के माध्यम से उल्लेखनीय मात्रा में चलनिधि प्रदान की। इस दौरान हम यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के प्रति भी सचेत रहे कि चलनिधि बढ़ाने के हमारे उपाय भविष्य में कमजोरियाँ पैदा न करें। हमारे चलनिधि उपाय कई मायनों में अद्वितीय थे: पहला, चलनिधि केवल रिज़र्व बैंक के प्रतिपक्षकारों

(बैंकों) के माध्यम से, दबावग्रस्त संस्थाओं/क्षेत्रों को ऋण देने के लिए प्रदान की गई थी; दूसरा, आस्ति खरीद कार्यक्रम छह महीने की सीमित अवधि के लिए था और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में आकार में बहुत छोटा था और केवल सरकारी प्रतिभूतियों तक ही सीमित था; तीसरा, ऋण सुविधाएं प्रदान करते समय संपार्श्विक मानकों को कमजोर नहीं किया गया; और चौथा, कोविड-19 से संबंधित दबावग्रस्त आस्तियों के लिए ऋण समाधान फ्रेमवर्क खुले हुए (ओपन-एंडेड) न होकर, कुछ वित्तीय और परिचालनीय मापदंडों की पूर्ति के अधीन थे। इसके अलावा, चलनिधि प्रदान करने के हमारे अधिकांश उपायों में पूर्व-घोषित सावधि विधि-खंड (सनसेट क्लॉज) थे, जिससे बाजार की अपेक्षाओं को कम किए बिना, निर्धारित समाप्ति तिथियों पर चलनिधि को व्यवस्थित रूप से वापस लेने (अन्वाइंडिंग) में मदद मिली। कुल मिलाकर, 227 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 8.7 प्रतिशत) की चलनिधि बढ़ाने के उपायों की घोषणा की गई, जिसमें से 157.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 6.0 प्रतिशत) का लाभ उठाया गया।

5. चलनिधि बढ़ाने के उपाय ज्यादातर 2020 में किए गए थे, लेकिन महामारी की ताजा लहरों और आर्थिक सुधार की नाजुक प्रकृति को देखते हुए, 2021 में भी जारी रहे। फिर भी, 2021 के दौरान लंबी अवधि की परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो (वीआरआरआर) नीलामी के माध्यम से अधिशेष चलनिधि को धीरे-धीरे अल्पावधि से लंबी अवधि की ओर स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने अल्पकालिक दरों को अति-निम्न स्तर से उठा लिया; इससे वित्तीय स्थिरता संबंधी चुनौतियों का समाधान हुआ। यह प्रभावी संचार के माध्यम से बाजार को पहले से ही संवेदनशील बनाकर किया गया था। इसके अलावा, यह मानते हुए कि प्रतिफल वक्र एक सार्वजनिक हित है, जिसका लाभ सभी को मिलता है, हमने दीर्घकालिक जी-सेक प्रतिफलों को व्यवस्थित करने के लिए - एकमुश्त आस्ति खरीद करना और ऑपरेशन ट्विस्ट[1] शुरू किया - जो आम तौर पर तरलता-तटस्थ थे। इसके परिणामस्वरूप, जी-सेक प्रतिफल वक्र की कीमतों से बेंचमार्क की गईं सभी लिखतों पर दरें कम हो गईं। परिणामी अनुकूल परिस्थितियों ने कॉरपोरेटों को बड़े संसाधन जुटाने और बैंकों से लिए गए उच्च लागत वाले ऋण चुकाने की सहूलियत दी। कॉरपोरेटों द्वारा इस तरह की डिलीवरेजिंग ने उनके तुलनपत्रों की कमजोरियों को कम कर दिया और 2022-23 में बाद में आगे चलकर ऋण उठाव की सुविधा प्रदान की। अनुकूल चलनिधि स्थितियों ने बैंकों को अतिरिक्त पूंजी जुटाने और भविष्य के दबाव, यदि कोई हो, का सामना करने के लिए अपने तुलनपत्रों को मजबूत करने में भी सक्षम बनाया।

मुद्रास्फीति की चुनौतियाँ

6. वर्ष 2020 और 2021 के दौरान जब महामारी अपने चरम पर थी, तब भी, आपूर्ति आघातों के कारण बारंबार मुद्रास्फीति दबावों के बावजूद, कमजोर आर्थिक स्थितियों को देखते हुए एमपीसी ने मुद्रास्फीति पर वृद्धि को प्राथमिकता दी। उदाहरण के लिए, आपूर्ति पक्ष के दबाव ने अक्टूबर 2020 में मुद्रास्फीति को 6 प्रतिशत की ऊपरी सहन-सीमा से ऊपर पहुंचा दिया था और समायोजी मौद्रिक नीति रुख जारी रखने को लेकर बाजार की चिंताएं थीं। इन परिस्थितियों में, हमने *"मौद्रिक नीति के समायोजनात्मक रुख को जब तक आवश्यक हो - कम से कम चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और अगले वर्ष तक"* जारी रखने के लिए परिस्थिति- और समय-आधारित भावी मार्गदर्शन प्रदान किया, क्योंकि उत्पादन अपने महामारी-पूर्व स्तर से काफी नीचे रहा। 2020-21 की दूसरी छमाही में, आपूर्ति पक्ष का दबाव कम होने से, मुद्रास्फीति हमारे आकलन के अनुरूप कम हो गई। मार्गदर्शन के समय-आधारित तत्व ने बाजार की उम्मीदों को नियंत्रित करने और मौद्रिक नीति रुख के संभावित पलटाव (रिवर्सल) के समय उत्पन्न होने वाली अनुचित उम्मीदों को कम करने में मदद की।

7. वर्ष 2022 की शुरुआत में, आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रत्याशित सामान्यीकरण, कोविड-19 संक्रमण में क्रमिक कमी आने और सामान्य मानसून के आधार पर, 2022-23 के लिए अनुमानित

[1] *खुला बाजार परिचालन, जिसमें अल्पावधि सरकारी प्रतिभूतियों की समकालिक बिक्री और दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद शामिल है।*

औसत दर 4.5 प्रतिशत रहने के साथ, मुद्रास्फीति में काफी कमी आने की उम्मीद थी। हालाँकि, फरवरी 2022 के अंत से यूक्रेन में युद्ध शुरू हो जाने से ऐसी उम्मीदें निष्फल हो गईं। प्रारंभ में, खाद्य और ईंधन की कीमतों से आघात आए, जो मूल रूप से वैश्विक थे, लेकिन प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से स्थानीय कारकों ने भी खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति के आघात तेजी से सामान्यीकृत होते गए। इसके अलावा, सुदृढ़ होती घरेलू बहाली और बढ़ती मांग के कारण दमित निविष्टि लागतों का खुदरा वस्तुओं और सेवाओं में अंतरण हुआ। इससे अंतर्निहित मूल मुद्रास्फीति अड़ियल बनी और हेडलाइन मुद्रास्फीति ऊँचे स्तर पर बनी रही।

8. इन परिस्थितियों में, एमपीसी ने तुरंत वृद्धि की बजाय मुद्रास्फीति को तत्काल प्राथमिकता देना शुरू दिया और अपने रुख को समायोजी से बदलकर, समायोजन वापस लेने वाला कर दिया। एमपीसी ने मई 2022 में नियत चक्र से इतर (ऑफ-साइकिल) बैठक आयोजित करके अग्र-सक्रिय होकर कार्रवाई की और नीति दर को 40 आधार अंकों तक बढ़ा दिया। इसके बाद फरवरी 2023 तक हुई पांच बैठकों में से प्रत्येक में, यद्यपि अलग-अलग मात्रा में, दरों में बढ़ोतरी की गई। कुल मिलाकर, हमने मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच संचयी रूप से नीतिगत रिपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि की है। इस प्रकार, हमने समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की और बदलते मुद्रास्फीति परिदृश्य के अनुरूप दर-वृद्धि की मात्रा को समायोजित किया है। हाल के महीनों में मुद्रास्फीति में कुछ नरमी के संकेत दिख रहे हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में 7.8 प्रतिशत के शीर्ष से घटकर, मई 2023 में 4.25 प्रतिशत हो गई है।

9. पिछले एक वर्ष में हमारी मौद्रिक नीति कार्रवाइयों का संचयी प्रभाव अभी भी सामने आ रहा है और अभी तक पूरी तरह से अमल में नहीं आ पाया है। जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 5.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति का हमारा अनुमान यद्यपि कम है, फिर भी यह लक्ष्य से काफी ऊपर होगा। हमारे वर्तमान आकलन के अनुसार, मध्यम अवधि में 4 प्रतिशत के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ, अवस्फीति प्रक्रिया धीमी रहने और लंबी होने की संभावना है। यह देखते हुए और पिछले कार्यों के प्रभाव का आकलन करने की दृष्टि से, हमने अप्रैल और जून 2023 की बैठकों में दर-कटौती में विराम लगाने का फैसला किया, लेकिन स्पष्ट शब्दों से यह साफ कर दिया कि यह एक परिवर्तन-धुरी *(पाईवोट)* नहीं है – नीतिगत दिशा में कोई निश्चित बदलाव नहीं है। यह मानते हुए कि दर-सख्ती चक्र में स्पष्ट मार्गदर्शन स्वाभाविक रूप से जोखिमों से भरा है, एमपीसी ने अंतिम (टर्मिनल) दर के समय और स्तर पर भविष्य में कोई मार्गदर्शन प्रदान करने से भी परहेज किया है।

वृद्धि संबंधी चिंताएँ

10. भारत में, 2016 में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक को *"विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने"* के प्राथमिक उद्देश्य के साथ मौद्रिक नीति संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारी जनसंख्या[2] और "जनसांख्यिकीय लाभांश"[3] के कारण हर साल कार्यबल में बड़ी वृद्धि को देखते हुए, हम वृद्धि संबंधी चिंताओं से बेखबर नहीं रह सकते। इसलिए हमने महामारी के वर्षों के दौरान वृद्धि को प्राथमिकता दी, भले ही मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर लेकिन सहनसीमा के भीतर थी।

11. भारतीय अर्थव्यवस्था ने महामारी के बाद अनुकरणीय सुदृढ़ता प्रदर्शित की और 2020-21 में 5.8 प्रतिशत के संकुचन से मजबूती से वापसी करते हुए, 2021-22 में 9.1 प्रतिशत और 2022-23 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की अग्र-सक्रिय और समन्वित कार्रवाई ने त्वरित बहाली में सहायता की, जबकि पिछले कुछ वर्षों में लागू किए गए बैंकिंग, डिजिटलीकरण, कराधान, विनिर्माण और श्रम

[2] *नवीनतम विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 में 1.429 बिलियन का अनुमान लगाया गया है।*

[3] *कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 14-68 वर्षीय से संबंधित है।*

से संबंधित विभिन्न संरचनात्मक सुधारों ने मध्यम और दीर्घावधि में सुदृढ़ और संधारणीय वृद्धि की नींव रखी। सरकार का पूंजीगत व्यय पर निरंतर बल, अतिरिक्त क्षमता पैदा कर रहा है और कॉर्पोरेट निवेश चक्र[4] में बहुप्रतीक्षित पुनरुद्धार कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था खुलापन में तेज़ी से प्रगति कर रही है और गत वर्षों में धीरे-धीरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हुई है। नतीजतन, वैश्विक प्रतिकूलताओं की अनिश्चितताओं से इसका सामना अधिकाधिक हो रहा है। हालांकि, यह नोट करना प्रासंगिक है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की वृद्धि, वैश्विक मंदी[5] के बीच, मुख्यतः सुदृढ़ घरेलू मांग, विशेष रूप से निजी खपत और निवेश से प्रेरित रही है। आने वाले समय में, हम उम्मीद करते हैं कि 2023-24 के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहेगी। पूरी संभावना है कि भारत 2023 में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा।

विनियामकीय और पर्यवेक्षी पहल

12. पिछले कुछ वर्षों में हमने एक मजबूत और अधिक सुदृढ़ विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढाँचा स्थापित किया है। इसने महामारी के संकट और भू-राजनीतिक संघर्षों के आरंभ के बाद वैश्विक वित्तीय बाजार की उथल-का सामना करने में हमारी सहायता की है। विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए हमारा दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से तीन स्तंभों पर आधारित है।

13. सबसे पहले, हाल के वर्षों में हमारा ध्यान हमारी विनियमित संस्थाओं - बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के भीतर अभिशासन और आश्वासन कार्यों को मजबूत करने पर रहा है। वित्तीय क्षेत्र में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही का माहौल बनाने पर जोर दिया गया है। हमारे कुछ कार्यान्वयन संबंधी विनियामकीय उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं- (i) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर); (ii) वाणिज्यिक बैंकों के लिए अभिशासन दिशानिर्देश; (iii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए स्केल-आधारित विनियामकीय (एसबीआर) ढाँचा। पूंजी और चलनिधि आवश्यकताओं को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) पर समान रूप से लागू किया जाता है, उनकी आस्ति का आकार और एक्सपोजर चाहे कुछ भी हो।[6] नवीनतम पर्यवेक्षी आंकड़े दर्शाते हैं कि सभी बैंक विभिन्न विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। दबाव परीक्षणों से यह भी संकेत मिलता है कि गंभीर दबाव की स्थितियों में भी भारतीय बैंक न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे।

14. दूसरा, वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए एक एकीकृत और सुसंगत पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अपनाकर, हाल के वर्षों में हमारी पर्यवेक्षी प्रणालियों को सुदृढ़ किया गया है।[7] हमने संभावित और उभरते जोखिमों को पहचानने के लिए, पर्यवेक्षी समष्टि और व्यष्टि आंकड़ा वैश्लेषिकी (मैक्रो एंड माइक्रो डेटा एनालिटिक्स) को सुदृढ़ किया है। कुल मिलाकर, पर्यवेक्षी संरचना का एकीकरण; स्वामित्व-निरपेक्ष और जोखिम-केंद्रित पर्यवेक्षण; घटनात्मक से हटकर निरंतर पर्यवेक्षण; डेटा एनालिटिक्स और सुप-टेक साधनों का लाभ उठाते हुए ऑफ-साइट निगरानी को बढ़ावा; सुदृढ़तर ऑन-साइट पर्यवेक्षण; भिन्न/अपवादात्मक संस्थाओं की पहचान और नाजुक क्षेत्रों की गहरी पड़ताल हमारी पर्यवेक्षी रणनीति के प्रमुख आधार रहे हैं।

---

[4] निजी निवेश और वास्तविक जीडीपी पर सार्वजनिक निवेश गुणक तीन साल की अवधि में क्रमशः 1.2 और 1.7 पर एकक (यूनिटी) से अधिक पाया गया है (मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल 2023) ।

[5] वैश्विक कारक भारत की जीडीपी वृद्धि में परिवर्तनशीलता के केवल 17-18 प्रतिशत की व्याख्या करते हैं, जो घरेलू विकास चालकों के प्रभुत्व को दर्शाता है (मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल 2023)।

[6] विशेष रूप से, सभी एससीबी को जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (पूंजी संरक्षण बफर सहित) को 11.5 प्रतिशत, एलसीआर को 100 प्रतिशत और एनएसएफआर को 100 प्रतिशत पर बनाए रखना होता है।

[7] दास, शक्तिकांत (2023), "जी 20 फॉर ए बेटर ग्लोबल इकनॉमिक ऑर्डर ड्यूरिंग इंडिया प्रेसीडेंसी", 17 वां के पी होर्मिस स्मारक व्याख्यान, 17 मार्च, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1356> पर उपलब्ध।

15. तीसरा, हम केवल लक्षणों से निपटने के बजाय, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में कमजोरियों के मूल कारणों की पहचान करने और उन्हें दूर करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम बैंकों और उधार देने वाली अन्य संस्थाओं के व्यापार मॉडल को बारीकी से देखते हैं और उनकी आस्ति-देयता असंतुलनों और वित्तपोषण स्थिरता की बारीकी से निगरानी करते हैं। हमारे पास पूर्व चेतावनी संकेतों की एक प्रणाली है जो जोखिम बढ़ने के प्रमुख संकेत प्रदान करती है। व्यक्तिगत संस्थाओं और प्रणालीगत स्तर, दोनों के लिए, निरंतर आधार पर दबाव परीक्षण भी किए जाते हैं। हम विनियमित संस्थाओं के व्यावसायिक निर्णय लेने में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण विनियमित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन को आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और हानि अवशोषण क्षमता और उनके व्यवसाय मॉडल से उत्पन्न जोखिमों के बीच किसी भी असंतुलन पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए संवेदनशील बनाना है। हम बाहरी लेखापरीक्षकों के साथ भी संपर्क में रहते हैं ताकि उन मुद्दों को चिह्नित किया जा सके जो उनकी भूमिका के लिए प्रासंगिक हैं।

16. संक्षेप में, भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने के प्रति हमारा दृष्टिकोण मौद्रिक नीति के हमारे संचालन का अभिन्न अंग है क्योंकि वित्तीय अस्थिरताएँ आर्थिक वृद्धि को कमजोर कर सकती हैं और मौद्रिक नीति संचरण में बाधा डाल सकती हैं। हम मानते हैं कि यदि कोई मूल्य स्थिरता नहीं है तो वित्तीय उथल-पुथल की संभावना अधिक होगी। यह दीर्घावधि में मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता की पूरकता में हमारे विश्वास को मजबूत करता है।

प्रभावी संप्रेषण

17. भारतीय रिज़र्व बैंक के बहुआयामी उत्तरदायित्वों और हमारी कार्रवाइयों के व्यापक प्रभावों को देखते हुए, हम संप्रेषण के महत्व के प्रति सजग हैं। समय-समय पर विभिन्न हितधारकों से बातचीत करते हुए नीति-निर्माण में हमने परामर्शी मार्ग को अपनाया है।[8]

18. जैसे-जैसे महामारी फैलती गई, केंद्रीय बैंक संप्रेषण की परीक्षा पराकाष्ठा पर पहुँच गई, और विशेष रूप से दो प्रमुख मोर्चों पर : (क) मीडिया और अन्य हितधारकों से संवाद करने के लिए हमारे पास केवल डिजिटल इंटरफेस था, और (ख) सामने आती चुनौतियों के साथ, हमारा लक्ष्य-श्रोता बदल गया और विशेषज्ञों के स्थान पर आम जनता आ गई।[9] महामारी के दौरान किया गया संप्रेषण, आरबीआई द्वारा उठाए जा रहे कदमों की व्याख्या करने के अतिरिक्त, आम आदमी के लिए विश्वास और आशावादिता का भी स्रोत था। अप्रैल, 2020 के अपने वक्तव्य में मैंने यह कहा था कि *"यद्यपि सामाजिक दूरी हमें अलग करती है, फिर भी हम एकता और दृढ़ता के साथ खड़े हैं। अंतत:, हम स्वस्थ होंगे; और हम टिके रहेंगे"।* मई 2020 के मेरे मौद्रिक नीति वक्तव्य में कहा गया- "महामारी ने हमारे सामने एक युगीन चुनौती पेश की है, लेकिन अपने सामूहिक प्रयास, निर्भीक चयन, नवाचार और सच्ची दृढ़ता के बूते हम निश्चित ही विजयी होंगे।" उक्त एवं इस प्रकार के अन्य संदेशों ने आवश्यक आत्मविश्वास का संचार किया, बाजार संबंधी मार्गदर्शन दिया और प्रत्याशाओं को नियंत्रित किया और ये सभी, आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के महत्वपूर्ण तत्व हैं।

19. महामारी पर भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्रवाई तत्काल एवं निर्णायक थी, जिसमें मार्च 2020 व उसके बाद से 100 से

---

[8] *मौद्रिक नीति के हिस्से के रूप में, हमने विभिन्न साधनों के माध्यम से सक्रिय रूप से संचार का उपयोग किया है, यथा- एमपीसी संकल्प और कार्यवृत्त; विकासात्मक और विनियामक उपायों के व्यापक नीति-पश्चात वक्तव्य; प्रेस वार्ताएं, भाषण, और हमारे अन्य प्रकाशन, जैसे द्विवार्षिक मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर)। हम विश्लेषकों, अर्थशास्त्रियों, शोधकर्ताओं, बैंकों, शैक्षणिक निकायों और अनुसंधान संस्थानों, व्यापार और उद्योग संघों और कई अन्य लोगों के साथ नियमित बातचीत करते हैं।*

[9] *ब्लाइंडर एट अल (2022); आम जनता के साथ केंद्रीय बैंक संचार: वादा या झूठी आशा? राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो; वर्किंग पेपर 30277, जुलाई।*

अधिक कदम उठाए गए। दो अवसरों (मार्च और मई 2020) पर एमपीसी की बैठकें निर्धारित कार्यक्रम से पहले आयोजित की गई थीं। मौद्रिक नीति समिति के निर्धारित चक्र के अलावा भी मैंने दो एकल (स्टैंडअलोन) वक्तव्य दिए थे – पहला वक्तव्य अप्रैल 2020 में और दूसरा मई 2021 में, जिनमें से दूसरा वक्तव्य तब दिया गया था जब कोविड-19 की दूसरी (डेल्टा) लहर अपने चरम पर थी। इस प्रकार ऑफ-साइकल बैठकें और स्टैंडअलोन वक्तव्यों ने भारतीय रिज़र्व बैंक की त्वरित और पूर्व-निवारक कार्रवाइयों की तैयारी दिखलाई। इन वक्तव्यों और यथासमय किए गए उपायों के माध्यम से जनता और अन्य हितधारकों को संप्रेषित किए गए सुस्पष्ट आश्वासनों ने बाजारों को पुनः चालू करने और व्यापारिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ, वित्तीय स्थितियों को काफी सहज बनाया।

20. प्रभावी भावी मार्गदर्शन ने महामारी के दौरान की गई हमारी पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कार्रवाइयों के प्रभाव को सुदृढ़ किया। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, अस्थायी स्फीतिकारी आघातों के बीच, उदार मौद्रिक नीति को जारी रखने का हमारा भावी मार्गदर्शन अत्यधिक प्रभावी था। हमारे आस्ति क्रय कार्यक्रम- जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी)- ने सरकारी प्रतिभूतियों की खुला बाजार खरीद की एक निर्धारित राशि के लिए प्रारंभ में ही प्रतिबद्धता प्रदान की। इस कार्रवाई ने ब्याज-दर प्रत्याशाओं को नियंत्रित किया और मौद्रिक संचरण को सुगम बनाया।

21. महामारी के बाद नीति पथ को पुनर्व्यवस्थित करने में अलग तरह की संप्रेषण चुनौतियाँ पेश आईं। कुछ खुली नीतियों के पलटाव में सचेत और महीन संप्रेषण की आवश्यकता थी ताकि बाजार प्रत्याशाओं को हमारे आकलन के अनुरूप समायोजित किया जा सके। उदाहरण के तौर पर, गवर्नर के फरवरी 2021 के मौद्रिक नीति वक्तव्य ने जनवरी 2021 में वीआरआरआर परिचालनों के द्वारा चलनिधि अवशोषण के फिर शुरू किए जाने से निर्मित हो रहे मौद्रिक नीति के विपर्यय के डर को संबोधित किया। वीआरआरआर नीलामियों के शुरू करने के औचित्य की स्पष्ट तौर पर व्याख्या करके यह कार्य किया गया था। इसी प्रकार, चलनिधि पुनर्संतुलन की शुरुआत अगस्त 2021 में 14-दिवसीय मुख्य वीआरआरआर नीलामी में आवधिक विस्तार के द्वारा, इस स्पष्टीकरण के साथ की गई थी कि *"वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए समष्टि-आर्थिक घटनाक्रमों के अनुरूप"* चलनिधि स्थितियों का विकास होना आवश्यक है।

22. बाजार, जनता एवं अन्य सभी हितधारकों को इस प्रकार के वक्तव्यों, यथा *"हम अलग तरीके से सोचना और कार्य करना जारी रखेंगे, सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहेंगे और सर्वोत्तम के लिए आशावान बने रहेंगे"* (जून 2021); *"भारतीय रिज़र्व बैंक अपने सभी नीतिगत उपायों – मौद्रिक, विवेकपूर्ण अथवा विनियामकीय- के माध्यम से 'आवश्यकतानुसार किसी भी कार्रवाई के लिए तत्पर' है"* (अगस्त 2021 द्वारा दिए गए आश्वासनों ने वित्तीय प्रणाली में भरोसे और विश्वास के संरक्षण के प्रति दृढ़ रहने की केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाया।

23. अप्रैल-मई 2022 में शुरू हुए मौद्रिक कसाव के अनुवर्ती चरण में, संप्रेषण के स्तर और स्वरूप को समुचित ढंग से परिष्कृत और सुविचारित बनाया गया ताकि नीतिगत दरों में वृद्धि का सफलतापूर्वक संचरण सुनिश्चित किया जा सके।

24. हमारा यह भी मानना है कि संप्रेषण को संतुलित होना चाहिए – इसकी अधिकता से बाजार उलझन में और न्यूनता से अटकलों में पड़ सकता है। विश्वसनीयता के निर्माण के लिए संप्रेषण का यथानुरूप कार्रवाइयों से समर्थित होना आवश्यक है। इस मामले में हम बहुत ही महीन रेखा पर चलते हैं और अपनी संप्रेषण कार्यनीतियों के परिष्कार के लिए सतत उद्यम करते हैं।

निष्कर्ष

25. अब मैं पिछले तीन वर्षों के हमारे अनुभवों से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण सीखों की बात करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। पहला, संकट के दौरान अग्रसक्रिय एवं त्वरित होना, उभरते बड़े घटनाक्रमों के प्रति शीघ्र कार्रवाई के लिए हमें तत्पर बनाता है। इस मामले में, वर्ष 2020 में महामारी के चरम समय में हमारे द्वारा लिए गए निर्णय और वर्ष 2021 में चलनिधि पुनर्संतुलन संबंधी हमारे उपाय बहुत कारगर साबित हुए। दूसरा, हमारे द्वारा

किए गए उपाय परिस्थितियों की मांग के अनुसार समायोजित, विवेक-सम्मत, लक्ष्य-केंद्रित थे। हम हठधर्मिताओं अथवा रूढ़िवादिताओं से बंधे हुए नहीं रहे हैं। ब्याज दर दायरा कम करने और इसका दायरा बढ़ाने के दौरान, हमने अतिशय चलनिधि नहीं डाली और न ही अपने संपार्श्विक मानकों को कमजोर बनाया। हमने इस बात का ध्यान रखा कि अभी जो उपाय किए जा रहे हैं, उन्हें समय पर और व्यवधानरहित तरीकों से वापस भी लेने की आवश्यकता होगी। तीसरा, हमने मौद्रिक नीति संबंधी अपने कार्यों को समष्टि-विवेकपूर्ण लिखतों सहित यथोचित विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों से समर्थित किया, जिससे नीति का प्रभाव और विश्वसनीयता और सुदृढ़ हुई। चौथा, प्रत्याशाओं और मनोभावों के समुचित स्थिरीकरण के अपने प्रयास के अंतर्गत, हमने प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से बाजार और बृहत्तर जनसामान्य को मार्गदर्शन एवं विश्वास प्रदान किया। इस प्रकार, महामारी के दौरान, संप्रेषण हमारी नीतिगत कार्रवाई का एक अतिरिक्त स्तंभ बन गया।

26. मैंने आज के अपने वक्तव्य में, भारतीय अनुभव का एक सार-संक्षेप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो इस सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं में उपयोगी हो सकता है। मुझे यह अवसर देने के लिए एक बार फिर मैं आयोजकों और सेंट्रल बैंकिंग को धन्यवाद देता हूँ और सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद। ■

जलवायु परिवर्तन : एक उभरता वित्तीय जोखिम

- प्रेम रंजन प्रसाद सिंह

"हम इस ग्रह पर इस तरह रह रहे हैं, जैसे कि हमारे पास जाने के लिए कोई दूसरा (ग्रह) भी है।"
- टेरी स्वियरिंगेन

"संसार उन लोगों द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा जो बुराई करते हैं,
बल्कि उनके द्वारा किया जाएगा जो बिना कुछ किए उन्हें देखते हैं।"
- अल्बर्ट आइंस्टीन

जलवायु जोखिम आज मानवता के अस्तित्व के लिए सबसे गंभीर जोखिमों में से एक है। जलवायु और पर्यावरण से संबंधित प्रभावों की गंभीरता और अनिश्चितता भी वित्तीय जोखिम का एक स्रोत है, जो आनेवाले दिनों में वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा और सुदृढ़ता पर व्यापक असर डाल सकता है और समग्र वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वित्तीय संस्थानों को पर्यावरणीय परिवर्तनों और परिस्थितियों से संभावित जोखिमों का समुचित प्रबंधन करने की आवश्यकता है।

जलवायु जोखिम के प्रति दुनिया के दृष्टिकोण के विरोधाभासों और विडंबनाओं को संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने अपने इन शब्दों में बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया है : "जलवायु परिवर्तन पर हम अक्सर यह नहीं समझते कि यह एक समस्या है। हमें लगता है कि यह एक समस्या है जो होने की प्रतीक्षा कर रही है।" पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इसी भावना को प्रतिध्वनित करते हैं - "जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर की समस्या नहीं है, यह यहाँ हो रहा है और अभी हो रहा है।"

मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

इस वैश्विक समस्या की वैश्विक प्रतिक्रिया के रूप में, पेरिस "वन प्लैनेट समिट" में आठ केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों द्वारा 'वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क' (एनजीएफएस) की स्थापना दिसंबर 2017 में की गई। पेरिस समझौता और जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रणाली की भूमिका हेतु और पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास के संदर्भ में हरित और निम्न कार्बन निवेश के लिए पूंजी जुटाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अप्रैल 2021 में इसका सदस्य बना। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) ने फरवरी 2020 में 'जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों पर टास्क फोर्स' (टीएफसीआर) बनाया, ताकि जलवायु पर पहल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के समिति के जनादेश में योगदान दिया जा सके।

जलवायु संबंधी परिवर्तनों से उभरते जोखिम

"यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि पर्यावरण अर्थव्यवस्था से कम महत्वपूर्ण है, तो अपना पैसा गिनते समय अपनी साँस रोककर रखने का प्रयास करें।" - **गाइ मैकफर्सन**

दिन-प्रतिदिन जटिल होती जा रही दुनिया में, इस समय मानवता को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है – लेकिन फिलहाल जलवायु परिवर्तन से बड़ा कोई नहीं। इस जोखिम के

दो व्यापक स्रोत हैं : **भौतिक (फिजिकल) जोखिम और संक्रमण (ट्रांसिशन) जोखिम**। **भौतिक जोखिम** अत्यधिक जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटनाओं, जैसे हीट वेव, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग और तूफान से उत्पन्न होते हैं और प्रत्यक्ष आर्थिक लागत तथा वित्तीय नुकसान का जरिया हो सकते हैं। दीर्घकालिक भौतिक जोखिम दीर्घकालिक घटनाएँ हैं जो मौसम के क्रमिक बदलाव, जैसे कि वर्षा में परिवर्तन, अत्यधिक मौसम परिवर्तनशीलता, समुद्र के अम्लीकरण और बढ़ते समुद्र के स्तर और औसत तापमान से उत्पन्न होते हैं। **संक्रमण जोखिम** कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर वांछित बदलाव के क्रम में अनुपालन लागत की तरह प्रकट होता है, जिसमें सरकारी नीतियाँ, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार व उपभोक्ता वरीयताओं में बदलाव आदि शामिल हैं। **देयता जोखिम** भौतिक और संक्रमण जोखिम से लोगों या व्यवसायों को होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की मांग से जनित जोखिम हैं।

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। यह सिलसिला जारी रहा तो समुद्र के बढ़ते स्तर से लेकर पानी की उपलब्धता में कमी, अधिक गर्मी की लहरों और आगजनी आदि की घटनाओं के चलते वास्तव में विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। 9 अगस्त, 2021 को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल में उल्लेख किया गया कि मानव गतिविधियों से जनित ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) ने पूर्व-औद्योगिक समय से 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया है, जो खतरनाक है, और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के करीब या पूर्व-औद्योगिक स्तरों पर 2 डिग्री सेल्सियस तक भी रोकना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 'तत्काल, तीव्र और बड़े पैमाने पर कटौती' के बिना कठिन या 'पहुँच से परे' होगा, और पारिस्थितिकी तंत्र, स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। 'कार्बन ब्रीफ' के एक अध्ययन का अनुमान है कि 1.5 - 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि के चलते 2100 तक वैश्विक जीडीपी में लगभग 8 से 13% की क्षति हो सकती है। इसी तरह, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 और वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण (जीआरपीएस) अगले पाँच वर्षों में सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों को सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय दर्शाता है। अगले 10 साल में, पर्यावरणीय जोखिमों को दुनिया के लिए पाँच सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक खतरों के साथ-साथ इस ग्रह और इसके निवासियों के लिए संभावित रूप से सबसे हानिकारक माना गया है, जिसमें "जलवायु कार्रवाई विफलता", "अतिरेकी मौसम" और " जैव विविधता हानि" को तीन सबसे गंभीर जोखिमों के रूप में चिन्हित किया जा सकता है।

देश की जलवायु पर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की वार्षिक रिपोर्ट में 'ओवरहीटिंग' के कई संकेतकों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे वर्ष 2021 का 1901 के बाद से पाँचवाँ सबसे गर्म वर्ष होना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार की एक रिपोर्ट ने भी निष्कर्ष निकाला है कि बीसवीं शताब्दी के मध्य से, भारत में प्रतिकूल मौसम की स्थिति देखी गई है, जिसमें औसत और अत्यधिक तापमान में वृद्धि, मानसून वर्षा में कमी, सूखा और समुद्र का स्तर शामिल है; साथ ही गंभीर चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि। इन गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए ऊर्जा संरक्षण, हरित पहल और कार्बन फुटप्रिंट और ग्रीनहाउस गैसों में तेजी से कमी सहित बड़े पैमाने पर सुधारात्मक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। डेविड सुज़ुकी ने ठीक ही टिप्पणी की है कि अगर हम हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं जो हमें जीवित और अच्छी तरह से रखते हैं, और जैव विविधता को नष्ट करते हैं जो प्राकृतिक प्रणालियों को कार्य करने की अनुमति देता है, तो फिर कितनी भी बड़ी राशि या धन-संपदा हमें नहीं बचा सकेगी।

जलवायु परिवर्तन के जोखिम और वित्तीय प्रणाली पर उनके संभावित प्रभाव

जैसा कि फ्रांस्वा ओलांद कहते हैं, जलवायु परिवर्तन के परिणाम अब पूरी तरह से ज्ञात हैं - 'हम अब सिद्धांतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम निश्चितताओं के बारे में बात कर रहे हैं'। आने वाली सभी पीढ़ियों की निगाहें हम पर हैं और अगर हम इसमें नाकाम रहे तो भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा! किसी ने सही कहा है कि इस ग्रह पर हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती का जवाब देने का समय अब है। कोई इतिहास बना सकता है या आने वाले कल को बिगाड़ सकता है। साथ ही, जैसा जे. इंसली का मानना है, जलवायु परिवर्तन एक बड़े खतरे

की बात है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा अवसर भी। हम उसके अनुरूप और अनुकूल भविष्य के उद्योगों को आगे बढ़ा सकते हैं, लाखों अच्छे वेतन वाले रोजगार सृजित कर सकते हैं और भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं।

वित्तीय प्रणाली के लिए जलवायु जोखिमों को मापने के लिए दो दृष्टिकोण हैं। ऊपर से नीचे का (टॉपडाउन) दृष्टिकोण, बैंकिंग प्रणाली के जोखिम की संवेदनशीलता का उपयोग भौतिक जोखिम (भूगोल के आधार पर) और संक्रमण जोखिम (ज्यादातर क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन पर आधारित) का उपयोग कर किया जा सकता है। बॉटम अप दृष्टिकोण में, वित्तीय संस्थान स्वयं केंद्रीय बैंक द्वारा निर्दिष्ट सामान्य परिदृश्य (या परिदृश्यों) के आधार पर अपने संबंधित पोर्टफोलियो पर जलवायु जोखिम के प्रभाव की गणना करते हैं। तनाव परीक्षण (स्ट्रेस टेस्टिंग) का उपयोग प्रणाली के लचीलेपन को मापने के लिए भी किया जाता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन की दिशा में देश का संकल्प

माननीय प्रधान मंत्री ने 1-2 नवंबर, 2021 के दौरान कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP 26) के अंतर्गत आयोजित विश्व नेता शिखर सम्मेलन में राष्ट्र की ओर से पाँच प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया; जिनमें वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW तक बढ़ाना, ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना, कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करना, अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना तथा वर्ष 2070 तक (कार्बन उत्सर्जन संबंधी) नेट-जीरो लक्ष्य हासिल करना शामिल है। COP 26 में भारत द्वारा की गई ये पाँच प्रतिज्ञायें सर्वोपरि हैं, और न केवल जलवायु कार्रवाई में भारत के अभूतपूर्व योगदान को रेखांकित करती हैं, अपितु भारतीय वित्तीय क्षेत्र के दृष्टिकोण को भी आकार दे सकती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयास

जॉन ओ'फेरेल ने एक बार कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग के बाद से, एस्किमोस के पास अब पानी के लिए बीस अलग-अलग शब्द हैं। देखने वाली बात यह है कि 'मानव जाति के सम्मुख इस सबसे कठिन चुनौती' के बर-अक्स वित्तीय क्षेत्र विनियामकों-पर्यवेक्षकों की क्या रणनीति व तैयारी है। रिज़र्व बैंक ने भी इस दिशा में निश्चित कदम उठाए हैं तथा सतत विकास के व्यापक संदर्भ में सहयोगात्मक पर्यावरणीय प्रयासों के लिए अनेक विश्व मंचों में भागीदारी की है, जिनमें एनजीएफएस के अलावा, जलवायु जोखिम पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड के कार्य समूह और जलवायु से संबंधित प्रकटीकरण पर कार्य स्ट्रीम, जी 20 सतत वित्त कार्य समूह, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर स्थापित कार्य-बल (टास्क फोर्स) और सतत वित्त पर अंतरराष्ट्रीय मंच प्रमुख हैं। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने मई 2021 में जलवायु जोखिम और टिकाऊ वित्त के क्षेत्र में प्रयासों और नियामक पहलों का नेतृत्व करने और रणनीति संबंधी सुझाव देने एवं एक नियामक ढाँचा विकसित करने के लिए अपने विनियमन विभाग (डीओआर) के भीतर सतत वित्त समूह (एसएफजी) नामक एक विशेष प्रभाग की स्थापना की है, जिसने जुलाई 2022 में जलवायु जोखिम संबंधित सर्वेक्षण प्रतिवेदन और चर्चा पत्र भी जारी किया है। बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने और उनके जोखिम प्रबंधन ढाँचे में जलवायु जोखिम के एकीकरण के लिए दिशानिर्देश विकसित करने में इन पहलों व प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

उपसंहार

जलवायु परिवर्तन वह मुद्दा है जो इस सदी की रूपरेखा को परिभाषित कर सकता है। जोनाथन पोरिट के सादे और सरल शब्दों में, भविष्य हरा होगा या बिल्कुल नहीं। नाओमी क्लेन ने भी आगाह किया है कि यदि समय रहते हम नहीं बदलते तो जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया में सब कुछ बदलने जा रहा है। इसी तरह इमैनुएल मैक्रो आह्वान करते है – 'आइए इसका सामना करें, कोई अन्य ग्रह तो रहने के लिए है नहीं।'

एक चीनी कहावत है: "पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। अगला सबसे अच्छा समय आज है! इसलिए आवश्यक है कि हम, विश्व के हितधारक, 'जिन्हें पृथ्वी अपने

पूर्वजों से विरासत में नहीं; बल्कि अपने बच्चों से धरोहर की तरह मिली है', इसे हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए एक साथ आने, हाथ मिलाने और सच्चे संकल्प के साथ बदलाव लाने की पहल करें। ब्रैड श्राइडर का कथन कितना सारगर्भित है कि जलवायु परिवर्तन एक आर्थिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मुद्दा है जिसे संबोधित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। टेड टर्नर ने भी उचित सम्मति दी है कि हमें जलवायु की बात से आगे बढ़कर जलवायु कार्रवाई की ओर बढ़ना चाहिए। अन्यथा जैसा वोल्टेयर ने चेताया है, अगर हम केवल इस बारे में बहस ही करते रहें, तो फिर प्रकृति अपना कार्य करेगी !

हमारे रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने 22 जुलाई, 2022 को दिए गए अपने भाषण 'बैंकिंग बियॉन्ड टुमॉरो' के अंतर्गत, जलवायु संबंधी जोखिमों के लिए व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण पर सम्यक रूप से प्रकाश डालते हुए कहा है कि आने वाले समय में जलवायु संबंधी जोखिम एक ध्यातव्य (फोकस) क्षेत्र होगा और ऐसे जोखिम बैंकों के व्यापार ढाँचे (बिजनेस मॉडल) को प्रभावित करेंगे। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यवसायों और उद्योगों की बढ़ी हुई वित्त-पोषण आवश्यकतायें जलवायु संबंधी जोखिम प्रबंधन पर वैश्विक कदम से काफी हद तक प्रभावित होंगी। बैंकों को पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) संबंधी उचित व्यावसायिक रणनीति विकसित करने और संबंधित जोखिमों का आकलन करने के लिए अपनी सुशासन संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता होगी तथा अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, जलवायु जोखिमों को दूर करने के लिए एक दूरंदेशी, व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। ■

भारत की G-20 अध्यक्षता : एक महत्वपूर्ण पड़ाव

- गंगा दत्त पंत

आज़ादी के बाद से ही भारत ने वैश्विक स्तर पर खुद को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। आज विश्व मंच पर भारत की बात सुनी जाती है। विश्व के सबसे शक्तिशाली 19 देश व यूरोपीय संघ के समूह G-20 की अध्यक्षता भारत को दी गयी है। यह समस्त राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में भी देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने भी G-20 को लेकर कहा कि ***"इस वर्ष भारत G-20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व- बंधुत्व के अपने आदर्श के अनुरूप, हम सभी शांति व समृद्धि के पक्षधर है। G-20 की अध्यक्षता एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान हेतु भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना हमें शीघ्रता से करना है।"*** वर्तमान विश्व तकनीकी रूप से बहुत आगे है परंतु अभी भी विश्व के सामने अनेक समस्याएँ खड़ी हैं। इस पृथ्वी को रहने के लिए एक खूबसूरत जगह बनाने का कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। G-20 जैसे संगठन, जिनके फैसलों का विश्व भर में व्यापक असर पड़ता है, इस दिशा में कार्य कर सकते है। वर्ष 2023 में भारत में सम्पन्न हुए G-20 सम्मेलन से यह उम्मीद जगी है और पर्यावरण व सामाजिक फैसलों के दृष्टिकोण से यह सम्मेलन सफल रहा है।

मुख्य प्रबन्धक (संकाय)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र
लखनऊ

G-20 क्या है?

G-20, 19 देशों व यूरोपीय संघ (EU) का एक समूह है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। इसकी स्थापना व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। निम्न देश G-20 के सदस्य देश हैं।

अर्जेंटीना	यूरोपियन संघ (EU)	इटली	दक्षिण अफ्रीका
आस्ट्रेलिया	फ्रांस	जापान	दक्षिण कोरिया
ब्राज़ील	जर्मनी	मेक्सिको	तुर्की
कनाडा	भारत	रूस	यूनाइटेड किंगडम
चीन	इंडोनेशिया	सऊदी अरब	संयुक्त राज्य अमेरिका

G-20 समूह में विश्व की प्रमुख व उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग दो-तिहाई है। G-20, वैश्विक GDP का 85%, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व की 60% आबादी भी इन 20 देशो से ही है। अतः यह सम्मेलन समस्त विश्व के परिदृश्य पर अपना प्रभाव रखता है। हर वर्ष G-20 देशों का एक सम्मेलन होता है जिसमें इन देशों के मुखिया, वित्त मंत्री व गवर्नर आदि शामिल होते हैं। इस सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष देशों के राजनेता आपस में मुलाकात करते हैं और विभिन्न विषयों और मुद्दों पर चर्चा करते हैं। G-20 सम्मेलन की एक बड़ी बात यह है कि इसमें विकसित व विकासशील दोनों प्रकार के देश शामिल होते हैं। जबकि G-7 केवल विकसित देशों का समूह हैं।

G-20 का इतिहास

प्रारम्भ में G-20 में राष्ट्रों के वित्त मंत्री व केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही शामिल होते थे तथा इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट को हल करने की दिशा में प्रयास करना था। G-7 की विफलता तथा मध्यम आय वाले राष्ट्रों के बढ़ते महत्त्व एवं वैश्विक आर्थिक समस्याओं का समाधान खोजने के प्रयास ने G-20 के गठन की नींव रखी। कनाडा के वित्त मंत्री **पॉल मार्टिन**

G-20 के प्रथम सत्र के अध्यक्ष थे। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने विश्व के बड़े नेताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आने वाले भविष्य के लिए कुछ ठोस कार्य योजना तैयार करनी होगी ताकि इस प्रकार की स्थिति पुनः न हो। यहीं से G-20 संगठन सक्रिय रूप से कार्य करने लगा तथा यहीं से हर वर्ष G-20 की बैठक करने का निर्णय लिया गया।

अब तक हुए G-20 सम्मेलन

क्रम संख्या	वर्ष	देश
01	2008	संयुक्त राज्य अमेरिका
02	2009	ब्रिटेन
03	2009	संयुक्त राज्य अमेरिका
04	2010	कनाडा
05	2010	दक्षिण कोरिया
06	2011	फ्रांस
07	2012	मैक्सिको
08	2013	रूस
09	2014	आस्ट्रेलिया
10	2015	तुर्की
11	2016	चीन
12	2017	जर्मनी
13	2018	अर्जेंटीना
14	2019	जापान
15	2020	सऊदी अरब
16	2021	इटली
17	2022	इंडोनेशिया
18	2023	भारत
19	2024	ब्राज़ील *(प्रस्तावित)*
20	2025	दक्षिण अफ्रीका *(प्रस्तावित)*

G-20 की आवश्यकता क्यों?

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्धग्रस्त देशों की सहायता के लिए विश्व बैंक (World Bank) के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना की गयी। विश्व नेताओं ने महसूस किया कि जब समस्त देश परस्पर निर्भरता के वातावरण में कार्य करते हैं तो वित्तीय स्थिरता व विकास अच्छी तरह से होता है। तब से ये दोनों संगठन वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन दोनों संगठनों को अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में वर्ष 1944 एक सम्मेलन स्थापित करने पर सहमति हुई थी। इसलिए इन्हें **ब्रेटन वुड्स ट्विन्स** (Bretton Woods Twins) के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा शुरू होते हुए G-20 तक पहुंची।

G-20 एक ऐसा मंच है, जहां विश्व नेता विकासशील देशों विशेषकर कम आय वाले देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं ताकि उन राष्ट्रों में संचालित नीतियों व योजनाओं को लागू करने में सहायता हो सकें व लोगों का जीवन स्तर सुधर सकें। G-20 विकसित राष्ट्रों के साथ-साथ विकासशील राष्ट्रों के साथ अपने सहयोग को बेहतर ढंग से लक्षित करने में मदद करता है, व कल्याणकारी अंतरराष्ट्रीय एजेंडे पर कार्य करता है।

वर्ष 2023 के लिए आधिकारिक थीम/लोगो:

इस बार G-20 शिखर सम्मेलन की थीम या विषय **वसुधैव कुटुम्बकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य** (One Earth, One Family, One Future) थी।

G-20 के इस वर्ष के लोगो (logo) में एक खिलता हुआ कमल है, जिसकी सात पंखुड़िया जीवन के सभी मूल्यों की पुष्टि करती है, ये मूल्य हैं- मानव, पशु, पौधे, सूक्ष्मजीव एवं इनकी ग्रह, पृथ्वी एवं ब्रह्मांड से संबद्धता। लोगो के अनावरण के अवसर पर 8 नवम्बर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि ***"कमल की सात पंखुड़ियाँ विश्व के सात महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, साथ ही संगीत के सात सुरों का भी। G-20 सारी दुनिया को एक साथ लाएगा। इस लोगो में कमल का फूल हमारी आस्था, हमारे ज्ञान एवं हमारी पौराणिक विरासत को दर्शा रहा है।"*** प्रधानमंत्री जी द्वारा इस बात पर ज़ोर दिया गया कि भारत की G-20 अध्यक्षता समस्त विश्व के लिए समावेशी, निर्णायक व महत्वाकांक्षी होगी। भारत की G-20

अध्यक्षता का मुख्य फोकस हमारे पृथ्वी (one earth) को खूबसूरत जगह बनाना, एक परिवार (one family) के भीतर सद्भाव पैदा करना व एक भविष्य (one future) के लिए उम्मीद रखना है। प्रधानमंत्री जी ने G-20 की यह अध्यक्षता 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित की।

भारत ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल की शुरुआत विभिन्न जनभागीदारी गतिविधियों से की, जैसे देश भर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ विशेष यूनिवर्सिटी कनेक्ट, G-20 के लोगो व रंगो के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के स्मारकों को रोशन करना, नागालैंड में होंबिल उत्सव में G-20 का प्रदर्शन आदि शामिल हैं। ये सभी कार्यक्रम साल भर चले।

G-20 की कार्य प्रणाली

G-20 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है अतः इसका सचिवालय (secretariat) प्रत्येक वर्ष G-20 की मेजबानी करने वाले या अध्यक्षता करने वाले देशों के बीच रहता है। वर्ष 2008 से G-20 का वार्षिक सम्मेलन लगातार हो रहा है। G-20 में **ट्रोइका** (Troika) का महत्वपूर्ण स्थान है। ट्रोइका तीन देशों से मिलकर बना होता है जिसमे निवर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष व भावी अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में ट्रोइका में इंडोनेशिया (निवर्तमान अध्यक्ष), भारत (वर्तमान अध्यक्ष) व ब्राज़ील (भावी अध्यक्ष) हैं। G-20 के इतिहास में पहली बार तीन विकासशील (developing) राष्ट्र मिलकर ट्रोइका बना। G-20 में नियमित रूप से निम्न वैश्विक संस्थानों को भी आमंत्रित किया जाता है।

- अफ्रीकन यूनियन (AU)
- ASEAN राष्ट्र
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)
- खाध एवं कृषि संगठन (FAO)
- फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB)
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
- आर्थिक सहयोग व विकास के लिए संगठन (OECD)
- संयुक्त राष्ट्र संघ (UN)
- वर्ल्ड बैंक ग्रुप (WBG)
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
- विश्व व्यापार संगठन (WTO)

इसके अतिरिक्त स्पेन एक ऐसा देश है जो G-20 के प्रत्येक सम्मेलन में नियमित रूप से शामिल रहता है। G-20 सम्मेलन में कुछ अन्य राष्ट्रों व वर्ष 2023 में भारत में सम्पन्न सम्मेलन में बांग्लादेश, मिश्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापूर, स्पेन व संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ साथ इंटरनेशनल सोलर एलायन्स (ISA) भी आमंत्रित थे। G-20 सदस्यों को 5 समूहों में विभाजित किया गया है। भारत दूसरे समूह में है जिसमें अन्य राष्ट्र रूस, दक्षिण अफ्रीका व तुर्की हैं।

G-20 में दो समानान्तर ट्रैक (parallel track) कार्य करते हैं:

1. वित्तीय चैनल या फ़ाइनेंस ट्रैक (The Finance Track): यह मुख्यतः G-20 राष्ट्रों के वित्त मंत्री व केन्द्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा संचालित होता है। इसमे मुख्यत: वित्तीय क्षेत्र से संबन्धित एजेंडे को संबोधित किया जाता है। वित्तीय चैनल या फ़ाइनेंस ट्रैक में निम्न वर्किंग ग्रुप होते हैं।

- फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (Framework Working Group-FWG)
- इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप (Infrastructure Working Group-IWG)
- इंटरनेशनल फ़ाइनेंस वास्तुकला (International Finance Architecture-IFA)
- टिकाऊ फ़ाइनेंस वर्किंग ग्रुप (Sustainable Finance Working Group-SFWG)
- ग्लोबल पार्टनर्शिप वित्तीय समावेशन (Global Partnership Financial Inclusion-GPFI)
- संयुक्त वित्त एवं स्वास्थ्य कार्य बल (Joint Finance and Health task force)
- इंटरनेशनल कराधान एजेंडा (International Taxation Agenda)

2. शेरपा ट्रैक (The Sherpa Track): शेरपा सरकार का प्रमुख या प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है जो G-20 या G-7 जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करता है। शेरपा ट्रैक शिखर सम्मेलन में चर्चा के लिए विभिन्न दस्तावेज़

तैयार करते हैं। शेरपा को सामान्यतः देश के राष्ट्राध्यक्ष ही नामांकित करते हैं। इस वर्ष हमारे देश के शेरपा नीति आयोग के भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्री अमिताभ कान्त जी थे। साथ ही भूतपूर्व विदेश सचिव श्री हर्ष वी श्रंगला को G-20 के लिए भारत का मुख्य संयोजक (Chief Coordinator) नियुक्त किया गया था। शेरपा ट्रैक में 13 वर्किंग ग्रुप हैं:

कृषि	संस्कृति
डिजिटल अर्थव्यवस्था	भ्रष्टाचार विरोधी
विकास	शिक्षा
रोजगार	आपदा जोखिम बचाव
ऊर्जा	स्वास्थ्य
व्यापार	पर्यटन
पर्यावरण	

इसके साथ ही G-20 में अनेक छोटे-छोटे आधिकारिक समूह होते हैं जो G-20 से संबन्धित अनेक कार्य सम्पन्न करते हैं। कुछ मुख्य समूह निम्न हैं:

- **B20:** B20 या द बिजनेस 20, वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G-20 संवाद मंच है। यह 2010 में स्थापित हुआ। B20, G-20 समूह का सबसे प्रमुख भाग है। यह वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं को वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर उनके विचार रखने को प्रेरित करता है। साथ ही G-20 व्यापार समुदाय के लिए हमेशा समर्थित रहता है। प्रत्येक वर्ष B20 चेयर या अध्यक्ष पद के लिए मेजबान देश का एक नामचीन बिजनेस लीडर नियुक्त करती है। इस वर्ष टाटा संस के चेयरमेन श्री नटराजन चन्द्रशेखरन ने B20 को चेयर किया।
- **C20:** सिविल सोसाइटी 20 या C20 वर्ष 2013 से G-20 समूह का एक भाग है। C20 का उद्देश्य दुनिया भर के नागरिक समाज संगठनों की तरफ G-20 के नेताओं का ध्यान दिलाना है। C20 विश्व भर के 800 से अधिक नागरिक संगठनों, प्रतिनिधियों की तरफ से यह सुनिश्चित करता है कि G-20 नेता समाज के सभी स्तर के लोगों को सुनें। इसमें उन देशों के संगठन भी शामिल रहते हैं जो G-20 के सदस्य नहीं हैं। इस वर्ष माता अमृतानंदमयी जो कि एक आध्यात्मिक नेता हैं, को C20 का अध्यक्ष बनाया गया था।
- **L20:** L20 या लेबर 20, G-20 के भीतर के समूहों में से एक है जो श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक श्रमिक संघों व ट्रेड यूनियन को एकजुट करता है व यह सुनिश्चित करता है कि योजनाएँ बनाते हुए श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रखा जाए।
- **S20:** S20 या साइन्स 20, 2017 में स्थापित हुआ था। इसमें G-20 देशों के वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता भाग लेते हैं।
- **T20:** थिंक 20 या T20, G-20 का सबसे मुख्य समूह है। यह G-20 से संबन्धित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थिंक टैंक एवं उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। T20 द्वारा दी गयी अनुशंसाओं को संकलित कर G-20 की मंत्रीस्तरीय बैठकों व शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष थिंक 20 के अध्यक्ष श्री सूजन आर चिनाय थे। साथ ही थिंक 20 की सलाहकार परिषद में विश्व के अनेक बुद्धिजीवी शामिल हैं।
- **U20:** U20 या अर्बन 20, 2018 में स्थापित हुआ था। इसमे मुख्य G-20 शहरों के मेयर या गवर्नर भाग लेते हैं।
- **W20:** W20 या वुमेन 20, 2015 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकार, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं व संगठन इसमे भाग लेते हैं।
- **Y20:** Y20 या यूथ 20 एक समावेशी चर्चा मंच है जिसका उद्देश्य युवाओं के दृष्टिकोण व विचारों से G-20 प्रमुखों को अवगत कराना है।

भारत के लिए G-20 की अध्यक्षता का महत्व

भारत के लिए G-20 की अध्यक्षता और भी अधिक महत्व रखती है, क्योंकि आज़ादी के 75 वीं वर्षगांठ के शुरू होने के पश्चात स्वतन्त्रता के शताब्दी वर्ष 2047 अर्थात अमृतकाल तक एक विकसित एवं समावेशी समाज के निर्माण का कार्य करना है। 1 दिसंबर 2022 से प्रारम्भ होकर 30 नवंबर 2023

तक भारत G-20 के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तत्पश्चात ब्राज़ील इसका अगला अध्यक्ष होगा। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G-20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। इसके अतिरिक्त निम्न कारण भी भारत का पक्ष मजबूत करते हैं।

- **भारत एक सुपर पावर:** तकनीक के क्षेत्र में भारत आज एक सुपर पावर के रूप में जाना जाता है। नए स्टार्टअप से लेकर यूनिकार्न के क्षेत्र में भारत ने बुलंदी को प्राप्त किया है। दिसंबर 2022 के अंत तक कुल 108 यूनिकार्न व 80000 से अधिक स्टार्टअप देश की मजबूत होती स्थिति को बताने के लिए काफी है। आज किसी भी मुश्किल के समय विश्व, भारत को उम्मीद भरी नजरों से देखता है। कोरोना महामारी के समय विश्व के 98 देशों को भारत ने 230 मिलियन से अधिक COVID-19 टीके (vaccine) की आपूर्ति की थी।
- **भारत एक डिजिटल राष्ट्र:** वर्ष 2016 से शुरू हुई यू.पी. आइ (UPI) की यात्रा ने भारत के डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आज UPI व रुपे (Rupay) भुगतान प्रणाली को सिंगापूर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), मलेशिया, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विटजरलैंड आदि राष्ट्र भी प्रयोग कर रहे हैं। दिसंबर 2022 तक केवल भारत में ही 382 बैंक UPI पर थे, जिनमें कुल 12,82,055 करोड़ रुपए का कारोबार UPI प्लैटफॉर्म पर हुआ। इस तरह, G-20 मंच पर निश्चित रूप से हमारे देश का यह मजबूत पक्ष सामने आया। ऐसे में भारत डिजिटल फ्रंट पर दुनिया का सही नेतृत्व कर सकता है व अन्य राष्ट्रों के विकास में भागीदार बन सकता है।

G-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने देश भर के 50 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी की:

- G-20 की पहली शेरपा बैठक 04-07 दिसंबर, 2022 को उदयपुर में हुई। जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व नीति आयोग के भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमिताभ कान्त ने किया। इस बैठक में मुख्यतः वर्तमान समय के ज्वलंत मुद्दे, हरित विकास (green development), पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LiFE-Lifestyle for environment), महिलाओं द्वारा नेतृत्व, सतत विकास लक्ष्यों (SDG-Sustainable Development Goals) का क्रियान्वय, समावेशी व लचीला विकास एवं बहुपक्षीय सुधार पर ज़ोर दिया गया।
- पहली G-20 वित्त एवं केन्द्रीय बैंक के उप-प्रमुखों (FCBD) की बैठक 13-15दिसंबर, 2022 तक बंगलुरु में आयोजित हुई। यह बैठक वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गयी। इस बैठक में मुख्य रूप से वित्त ट्रैक एजेंडा (FTA) पर चर्चा हुई। साथ ही वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, वैश्विक वित्तीय सरंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, वैश्विक स्वास्थ्य, स्थायी वित्त (sustainable finance) व वित्तीय समावेशन आदि पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता सचिव आर्थिक मामले श्री अजय सेठ व भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर श्री माइकल डी पात्रा ने संयुक्त रूप से की। बैठक में 35 से अधिक देशों के 190 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए जिसमें G-20 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। FCBD की अगली बैठक 24-25 फरवरी, 2023 को बेंगलुरु में ही हुई जिसमें G-20 समूह देशों के वित्त मंत्री व केन्द्रीय बैंक के गवर्नर शामिल हुए।
- G-20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप (DWG) की पहली बैठक 13 से 16 दिसंबर, 2022 तक मुंबई में हुई। DWG, 2010 से G-20 में विकास एजेंडा के सरंक्षक के रूप में कार्य कर रहा है।
- 9 से 11 जनवरी, 2023 तक कोलकाता में G-20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फ़ाइनेंशियल इंक्लूजन (GPFI) के लिए पहली बैठक की गयी। इस बैठक का आयोजन भारतीय रिज़र्व बैंक व वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया।
- G-20 अध्यक्षता के अंतर्गत पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप (IWG) की बैठक 16-17 जनवरी, 2023 को पुणे में आयोजित की गयी। G-20 देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर मसौदे पर चर्चा के लिए भारत द्वारा आमंत्रित IWG सदस्य देशों,

अतिथि देशों व अन्य संगठन एक साथ आए। बैठक की मेजबानी आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया।

- 17 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में "थिंक 20 अंडर G-20" (Think 20 under G-20) आयोजित किया गया। जो इसके अंतर्गत होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में से एक है। इसका उदघाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। इस कार्यक्रम में 22 देशों से आए 94 मेहमानों समेत कुल 300 सदस्यों ने हिस्सा लिया।
- G-20 अध्यक्षता के अंतर्गत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह (HWG) की बैठक 18-20 जनवरी, 2023 तक तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित की गयी। G-20 हैल्थ ट्रैक में 4 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक व एक हैल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग (HMM) हुई। सबक़ो स्वास्थ्य सेवाएँ के क्षेत्र में सुधार हेतु भारत पहले की भाँति इस वर्ष भी प्रयासरत रहा।
- वित्तमंत्रियों व केन्द्रीय बैंक गवर्नरों की पहली मीटिंग 24-25 फरवरी, 2023 को बेंगलुरु में आयोजित की गयी।
- G-20 विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 1-2 मार्च, 2023 को नयी दिल्ली में आयोजित की गयी।

G-20 के अध्यक्ष के रूप में, भारत का उद्देश्य स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को जारी रखना एवं सबक़ो स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना था। साथ ही पिछली अध्यक्षता के दौरान सामने आई हुई मुश्किलों व चुनौतियों से भी सीखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करना रहा। इसके लिए भारत ने G-20 हैल्थ ट्रैक के लिए निम्न 3 प्राथमिकताएं तय की थीं:

1. सबके लिए एक स्वास्थ्य (one health) को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति की रोकथाम व तैयारी
2. सुरक्षित, प्रभावी व सस्ती चिकित्सा तक सबकी उपलब्धता एवं फ़ार्मास्युटिकल क्षेत्र से सहयोग को मजबूत करना
3. यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज एवं हेल्थकेयर सर्विस में सुधार के लिए डिजिटल हैल्थ नवाचार (innovation) एवं समाधान

इसके अतिरिक्त हैदराबाद, कश्मीर, गुजरात, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश आदि शहरों में भी G-20 की बैठकें हुईं।

भविष्य की राह

आज समस्त विश्व अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे- जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद, बेरोजगारी आदि। समस्त राष्ट्र एक साथ आकर ही इन मुश्किलों को हल कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण भारत ने यह ज़िम्मेदारी बखूबी निभाई। पिछले कुछ वर्षों में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ है एवं विश्व मंच पर भारत की बात ध्यान से सुनी जा रही है। ऐसे में G-20 की भारत द्वारा सफल अध्यक्षता करने से G-20 राष्ट्रों के अलावा भी अन्य राष्ट्रों में भी उम्मीद जगी हैं क्योंकि G-20 द्वारा लिए गए फैसलों का सकारात्मक असर समस्त विश्व पर पड़ेगा। G-20 सम्मेलन का सफल और सौहार्दपूर्ण आयोजन करके भारत एक बार फिर एक महत्वपूर्ण और मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी उपस्थिती दर्ज करने में सफल हुआ है। जी-20 की मेजबानी के दौरान पूरे विश्व और अंतरराष्ट्रीय मीडिया की नजरें भारत पर ही टिकी रहीं और भारत सबकी उम्मीदों पर बिलकुल खरा उतार, यह हम सब भर्तियों के लिए अत्यंत गर्व की बात है।

■

संदर्भ: -

https://www.g20.org/
https://pib.gov.in/
ndtv.com
https://www.npci.org.in/
https://timesofindia.indiatimes.com/

एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म

- सजिता मेनन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 अक्टूबर, 2017 के अपने 'विकासात्मक और नियामक नीतियों पर बयान' में कहा था कि 'खुदरा उपयोगकर्ता' के लिए मूल्य निर्धारण के नतीजे में सुधार लाने हेतु एक तंत्र मौजूद होना चाहिए, जिसके तहत बाजार में ग्राहक मूल्य निर्धारण सीधे तौर पर तय किया जाए। इसके लिए ग्राहकों को एक इंटर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुँच प्रदान की जाए, जहाँ पर खुदरा ग्राहकों और अधिकृत डीलर बैंकों की बोली/प्रस्तावों का गुमनाम और स्वचालित रूप से मिलान किया जा सके।

आरबीआई के अनुसार किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में मौजूद एक तंत्र बेहद जरूरी **पारदर्शिता** प्रदान करेगा, साथ ही प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाएगा और ग्राहकों को **बेहतर मूल्य निर्धारण** की दिशा में ले जाएगा। इसके अलावा ग्राहक द्वारा आदेशों का सीधा निष्पादन वह जोखिम भी घटाता है जो बैंकों को वेयरहाउसिंग लेन-देन में तब तक उठाने पड़ते हैं, जब तक कि ये लेन-देन बाजार के किसी लॉट से जुड़ नहीं जाते। इस तंत्र में बैंक अपने ग्राहकों से प्रशासनिक खर्चों के लिए पहले से सहमत एक सपाट शुल्क वसूल सकते हैं। हालांकि बैंक को ग्राहक के सामने ऐसे शुल्क का खुलासा करना चाहिए। कुल मिलाकर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विदेशी मुद्रा बाजार में खुदरा ग्राहक द्वारा वहन की जाने वाली कुल लागत घटा देगा। इस संबंध में आरबीआई द्वारा उक्त प्रस्ताव पर एक चर्चा-पत्र भी जारी किया गया था। आरबीआई और विभिन्न बाजार सहभागियों के बीच व्यापक विचार-विमर्श हुआ, जिसमें बैंक और कॉरपोरेट भी शामिल थे। बाजार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक व सुझावों को संकलित किया गया तथा नए प्लेटफॉर्म के विकास की दिशा में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को आरबीआई के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया था।

आरबीआई ने 06 जून, 2019 के अपने 'विकासात्मक और नियामक नीतियों पर बयान' में बैंक ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा खरीदने व बेचने हेतु एक विदेशी मुद्रा व्यापार मंच शुरू करने का ऐलान किया था। इस संबंध में आरबीआई की ओर से 20 जून, 2019 को एक सर्कुलर भी जारी किया गया था।

एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म बैंक ग्राहकों के लिए एक वेब आधारित ऑर्डर मैचिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो व्यक्तियों, एनआरआई, सर्वेसर्वा मालिकों, पार्टनरशिप फर्मों, कॉरपोरेट, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) आदि को शामिल किए हुए है। यह प्लेटफॉर्म यूएसडी/आईएनआर मुद्रा जोड़ी में नकद, टुमॉरो, स्पॉट और फॉरवर्ड इंस्ट्रूमेंट (13 महीने की अवधि तक) में ट्रेडिंग की पेशकश करता है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए ग्राहक एक सरल और आसान पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

विशेषताएँ

- **ऑर्डर संचालित**: यह प्लेटफॉर्म ऑर्डर संचालित डीलिंग उपलब्ध कराता है, जहां ग्राहक खुद ऑर्डर कर सकते हैं और यूएसडी/आईएनआर मुद्रा जोड़ी में विदेशी मुद्रा अनुबंध बुक कर सकते हैं।

वरिष्ठ प्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
मुंबई

- **वेब आधारित**: प्लेटफॉर्म को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
- **औजार:** ग्राहक मानक कार्यकालों (माह की शुरुआत, महीने के मध्य और महीने के अंत) में या जरूरत के अनुसार आगे-पीछे की अलग-अलग तिथियों के लिए इस प्लेटफॉर्म पर 13 महीने की अवधि तक नकद (उसी दिन सेटलमेंट), टुमॉरो (अगले दिन सेटलमेंट), स्पॉट (कारोबारी दिन +2 दिन में सेटलमेंट) और फॉरवर्ड के अनुबंध बुक कर सकते हैं।
- **पंजीकरण की प्रक्रिया**: एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण सफल होने पर सत्यापन और अनुमोदन करने के उद्देश्य से ग्राहक का विवरण पंजीकरण के समय चुने गए रिलेशनशिप बैंक को भेज दिया जाता है। बैंक द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के बाद ग्राहक को उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल प्रदान किए जाते हैं, जिनमें एक लॉगिन नाम और पासवर्ड शामिल होता है।
- **बाजार वॉच**: बाजार वॉच 13 महीने की अवधि तक नकद (उसी दिन सेटलमेंट), टुमॉरो (अगले दिन सेटलमेंट), स्पॉट (टी+2 डे सेटलमेंट) और फॉरवर्ड इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम बोली और ऑफर दरें मुहैया कराता है। इसमें ग्राहकों के देखने और संदर्भ लेने के लिए इंटर-बैंक स्पॉट दरें (एफएक्स-क्लियर) भी प्रदर्शित की जाती हैं। बैंकों की तरफ से मूल्यों का तुलनात्मक नजरिया भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहता है, जिससे ग्राहक को बेहतर मूल्य निर्धारण का विकल्प मिलता है।
- **सीमाएं**: बैंक को प्लेटफॉर्म पर लेन-देन करने हेतु अपने ग्राहकों के लिए सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर ग्राहक को प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर देने और अनुबंध बुक करने की अनुमति होगी। ग्राहक की प्रोफाइल के आधार पर ग्राहक के लिए सीमाएं 'ओनली सेल लिमिट' या 'ओनली बाय लिमिट' या खरीद और बिक्री दोनों सीमाएं तय की जा सकती हैं।
- **मार्क अप**: रिलेशनशिप बैंक को अपने ग्राहकों के लिए मार्क अप सेट करने की आवश्यकता होती है जिसे ट्रेड हुई दरों के साथ समायोजित किया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के रिलेशनशिप बैंक/बैंकों द्वारा निर्धारित तुलनात्मक मार्क-अप मूल्य को प्रदर्शित करके प्लेटफॉर्म पूरी पारदर्शिता प्रदान करता है।
- **स्वैप कोट**: ग्राहकों द्वारा नकद, टुमॉरो और फॉरवर्ड इंस्ट्रूमेंट में दिए गए ऑर्डर को रिलेशनशिप बैंक द्वारा प्रदान किए गए स्वैप कोट के आधार पर स्पॉट ऑर्डर में बदला जाता है। सभी ऑर्डरों का ग्राहक द्वारा दिए गए ऑर्डरों की स्पॉट कीमतों से मिलान किया जाता हैं।
- **मल्टीप्ल रिलेशनशिप बैंक**: इस प्लेटफॉर्म पर ग्राहक कई रिलेशनशिप बैंक जोड़ सकते हैं।
- **काउंटरपार्टी और सेटलमेंट**: प्लेटफॉर्म पर बुक किए गए किसी भी अनुबंध के लिए काउंटरपार्टी प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर करते समय चुना गया रिलेशनशिप बैंक होता है। रिलेशनशिप बैंक के साथ अनुबंध द्विपक्षीय रूप से तय किए जाते हैं।
- **एकत्रीकरण की सुविधा**: एक विशेष सुविधा जो मिलान करने के उद्देश्य से इंटरबैंक बाजार लॉट साइज (और गुणकों) में रिटेल सेगमेंट के अंदर किए गए अनेक ऑर्डरों को एकत्रित करती है। ये समेकित ऑर्डर एक साथ मिलान करने के लिए इंटरबैंक स्पॉट के साथ-साथ खुदरा बाजार के ऑर्डरों सहित उपलब्ध होते हैं।
- यह प्लेटफॉर्म मूल रूप से इसी प्लेटफॉर्म पर बुक किए गए बकाया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने, रोलओवर करने और जल्द डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान करता है।

बाजार सहभागियों को लाभ

1. एफएक्स-रिटेल ग्राहकों के लिए अपनी तरह का अनोखा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो स्वचालित मूल्य खोज की सुभीता प्रदान करता है।
2. ग्राहक सर्वोत्तम विनिमय दर पर यूएसडी डॉलर खरीद/बेच सकते हैं।
3. ग्राहक सीधे प्लेटफॉर्म पर डील करते हैं और मौजूदा दरों तक उनकी पहुंच होती है; जिससे वे फोन आधारित ट्रेडिंग से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की ओर बढ़ रहे हैं।
4. प्लेटफॉर्म ग्राहकों को पारदर्शिता और बेहतर मूल्य निर्धारण प्रदान करता है।
5. एक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से यूएसडी/आईएनआर मुद्रा जोड़ी में अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को निष्पादित करने हेतु सभी ग्राहकों का वन स्टॉप समाधान बनना इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है।
6. यह प्लेटफॉर्म बैंकों को अपने ग्राहकों की प्लेटफॉर्म पर सीमाएँ निर्दिष्ट करके ही सीधे लेन-देन करने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंकों को अपनी व्यापारिक स्थितियों के बारे में जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा।
7. प्लेटफॉर्म पर सीमा निर्धारित करना और उसकी निगरानी करना बैंकों के लिए बहुत ही परेशानी-मुक्त प्रक्रिया है।

■

सूक्ष्मवित्त ऋण : एक ऐतिहासिक परिवर्त्तन

- दिवाकर झा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 जून, 2021 को सूक्ष्मवित्त ऋणों के विनियमन पर एक परामर्शी दस्तावेज सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया था, जिस पर प्राप्त राय के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14-03-2022 को सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया, एवं 01-04-2022 से लागू कर दिया। ये प्रावधान सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर), सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों/ राज्य सहकारी बैंकों/ जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (सूक्ष्मवित्त संस्थानों और आवास वित्त कंपनियों सहित) पर लागू होंगे।

इन दिशा-निर्देशों के तहत किए गए परिवर्त्तन सूक्ष्मवित्त ऋण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने में मददगार सिद्ध होंगे, क्योंकि इसके तहत सूक्ष्मवित्त ऋण को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। नयी परिभाषा के अनुसार, सूक्ष्मवित्त ऋण के तहत वैसे परिवारों को लाभ उपलब्ध कराया जायेगा, जिनकी वार्षिक घरेलू आय ₹3,00,000/- तक है। पारिवारिक इकाई में पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों को लिया जाएगा। पारिवारिक आय का मानदंड सभी जगहों के लिए एक समान कर दिया गया है। ₹ 3,00,000/- तक वार्षिक आय वाले परिवार को दिये जाने वाले सभी संपार्श्विक-मुक्त ऋण सूक्ष्मवित्त ऋण के तहत आयेंगे, चाहे ऋण का प्रयोजन कुछ भी हो, और ऋण किसी भी माध्यम यथा भौतिक या डिजिटल चैनल से दिया गया हो।

सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय
स्टेट बैंक ग्रामीण बैंकिंग संस्थान
हैदराबाद

ऋण को पूर्णतया संपार्श्विक-मुक्त बनाए रखने के लिए उधारकर्ता के जमा खाते पर ग्रहणाधिकार भी नहीं लगाया जायेगा। ऋण प्रयोजन-निरपेक्ष रहेगा, यानि उधारकर्ता सूक्ष्म वित्त योजना के बिना ऋण का उपयोग कर सकेगा। उधारकर्ता को इस ऋण में मार्जिन के रूप में कोई रकम नहीं देना होगा। बैंक के पास उधारकर्ता की आवश्यकता के अनुसार सूक्ष्म वित्त पर ऋण चुकौती की अवधि निर्णय करने का लचीलापन होगा, जिसके लिए उस आय को आधार बनाया जायेगा जो कुल आय के स्रोत का 50% से अधिक हो। ऋण चुकौती की आवृत्ति साप्ताहिक/ पाक्षिक/ मासिक होगी।

सूक्ष्मवित्त ऋण हेतु घरेलू आय का आकलन

कम आय वाले परिवार के घरेलू आय के आकलन के लिए सभी विनियमित संस्थायें बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाएगी। तदर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं के मार्गदर्शन हेतु एक प्रारूप (अनुबंध-I) जारी की है, जो निम्नवत् है:

खंड (1) : घरेलू प्रोफ़ाइल आकलन के लिए मापदंड:

क) घरेलू संरचना
   i. सदस्यों की संख्या, जो उपार्जित करते हों
   ii. सदस्यों की संख्या, जो उपार्जित न करते हों

ख) आवास का प्रकार यथा स्वामित्व/ किराए पर आदि

ग) बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता यथा पानी, बिजली, शौचालय, जल-निकास, गैस कनेक्शन आदि

घ) अन्य आस्तियों की उपलब्धता यथा भूमि, पशु धन, वाहन, फर्नीचर, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आदि

खंड (2) : घरेलू आय आकलन के लिए मापदंड:

क) आय का प्राथमिक स्रोत

i. कार्य का क्षेत्र यथा कृषि व अनुषंगी गतिविधियाँ, व्यापार, निर्माण, सेवाएँ आदि

ii. कार्य की प्रकृति यथा स्व-नियोजित या वेतनभोगी, नियमित या मौसमी आदि

iii. आय की आवृत्ति (दैनिक/साप्ताहिक/मासिक)

iv. पिछले एक वर्ष में रोजगार के महीने/दिन

v. स्व-रिपोर्ट की गई मासिक आय

vi. औसत मासिक आय उक्त (iv) और (v) के आधार पर गणना की जाएगी।

ख) आय के अन्य स्रोत

i. प्रेषित धन

ii. किराया / पट्टा

iii. पेंशन

iv. सरकारी स्थानांतरण

v. छात्रवृत्ति

vi. अन्य (विवरण निर्दिष्ट करें)

ग) आय के प्राथमिक या सहायक स्रोतों के संबंध में सभी कमाने वाले सदस्यों के लिए उपर्युक्त आय मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सभी स्रोतों से सभी सदस्यों की आय की गणना करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी प्रकार के आय की गणना दो या दो से अधिक जगह न ली जाय। जैसे कि एक प्रवासी सदस्य घर धन प्रेषित करता है, तो उस रकम को दो जगह नहीं लिया जाय।

घ) यद्यपि आय की गणना मासिक आधार पर भी की जा सकती है, पर घरेलू आय की स्थिरता को जानने के लिए सभी सदस्यों और उनके विविध स्रोतों से आय का आकलन कम-से-कम एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाना चाहिए।

खंड (3) : घरेलू व्यय के आकलन के लिए मापदंड:

क) नियमित मासिक व्यय यथा भोजन, वाहन, घर/दुकान का किराया, कपड़े, नियमित चिकित्सा लागत, विद्यालय / महाविद्यालय का शुल्क आदि

ख) पिछले एक साल में किए गए अनियमित व्यय यथा चिकित्सा खर्च, घर का नवीनीकरण, घरेलू सामान की खरीद, किसी तरह का समारोह आदि

उपर्युक्त प्रारूप में **खंड (2)** में स्व-रिपोर्ट की गई विवरणी की **खंड (1)** के घरेलू प्रोफाइल तथा **खंड (3)** के घरेलू खर्च के साथ मिलान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, घरेलू आय को अन्य स्रोतों से भी सत्यापित किया जा सकता है, जैसे उधारकर्ताओं के बैंक खाते के विवरण, समूह के सदस्य, आसपास के अन्य संदर्भ आदि।

सूक्ष्मवित्त ऋण का आकलन

घरेलू आय का आकलन करने के बाद सभी विनियमित संस्थाओं को सूक्ष्मवित्त ऋण प्रदान करने हेतु कुछ अनुदेशों को ध्यान में रखा आवश्यक है। प्रत्येक विनियमित संस्था के पास परिवार के मासिक ऋण दायित्वों के पुनर्भुगतान हेतु मासिक घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में सीमा के संबंध में एक बोर्ड-अनुमोदित नीति होगी। ऋण दायित्वों के पुनर्भुगतान हेतु यह सीमा मासिक घरेलू आय के अधिकतम 50 % की सीमा के अंदर होगी। ऋण पुनर्भुगतान दायित्व की गणना में परिवार के सभी बकाया ऋणों यथा संपार्श्विक-मुक्त सूक्ष्मवित्त ऋण एवं संपार्श्विक-युक्त ऋण को ध्यान में रखा जाएगा। पुनर्भुगतान रकम की गणना में मूलधन के साथ ब्याज घटक को भी लिया जाएगा।

यदि किसी परिवार की पुनर्भुगतान सीमा 50% से अधिक है, तो अन्य ऋणों के परिपक्व होने तक उन्हें कोई ऋण नहीं दिया जाएगा। पुनर्भुगतान सीमा 50% से कम आ जाने पर बोर्ड-अनुमोदित नीति के तहत ऋण दिया जा सकेगा। सभी विनियमित संस्था के लिए आवश्यक है कि वे सूक्ष्मवित्त उधारकर्ता से संबंधित उपलब्ध जानकारी सीआईसी (क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी) को समय पर प्रदान करें। ऋण प्रदान करते समय विनियमित संस्थायें परिवार की आय के संबंध में उधारकर्ताओं

से घोषणा, उनके बैंक खातों के विवरण के अतिरिक्त स्थानीय पूछताछ से भी उनके बारे में जानकारी लेंगी।

सूक्ष्मवित्त ऋण हेतु विनियमित संस्थाओं द्वारा मूल्य-निर्धारण

सूक्ष्मवित्त ऋण पर ब्याज-दर अवांछित रूप से अधिक नहीं होनी चाहिए। मूल्य-निर्धारण के लिए सभी विनियमित संस्थाओं को बोर्ड-अनुमोदित नीति बनाना होगा, जिसमें समावेशी ब्याज दर पर पहुँचने के लिए एक सही रूप से प्रलेखित ब्याज दर मॉडल हो, साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ब्याज दर के विविध घटकों यथा निधियों की लागत, रिस्क प्रीमियम, मार्जिन आदि का वर्णन हो, ऋण-प्रयोजन के आधार पर उधारकर्ताओं की प्रत्येक श्रेणी हेतु ब्याज-दर के प्रत्येक घटक के प्रसार की सीमा वर्णित हो, एवं सूक्ष्मवित्त ऋणों पर लागू ब्याज-दर और अन्य सभी शुल्कों की अधिकतम सीमा निर्धारित हो।

विनियमित संस्था और/या उसके भागीदार/प्रतिनिधि द्वारा सूक्ष्मवित्त उधारकर्ता को अनिवार्य रूप से तथ्य-पत्रक प्रदान किया जाएगा, जिसमें लिए जाने वाले सभी शुल्कों का स्पष्ट रूप से विवरण रहेगा, एवं उधारकर्ता से कोई भी ऐसी राशि नहीं ली जाएगी जो तथ्य-पत्रक में स्पष्ट रूप से उल्लिखित न हो। समय पूर्व भुगतान के लिए इन सूक्ष्मवित्त ऋणों पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा। विलंबित पुनर्भुगतान के लिए केवल अतिदेय राशि पर दंड लगाया जाएगा। सभी विनियमित संस्थायें सूक्ष्मवित्त ऋणों पर प्रभारित न्यूनतम, अधिकतम और औसत ब्याज दरों संबन्धित सूचना वेबसाइट व सूचना-पुस्तिकाओं में प्रकाशित करेंगी। यदि ब्याज-दर में कोई परिवर्त्तन होता है, तो उधारकर्ता को अग्रिम रूप से सूचित किया जाना आवश्यक है। गैर-ऋण उत्पादों को उधारकर्ताओं की पूर्ण सहमति से ही दिया जाएगा।

अन्य दिशा-निर्देश

सूक्ष्मवित्त ऋण को लेकर विनियमित संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। विनियमित संस्थायें सभी ऋण आवेदनों-प्राप्ति की पावती प्रदान करेंगे। विनियमित संस्थायें उचित अवधि के भीतर ऋण आवेदनों पर कार्रवाई करेगा। यदि अतिरिक्त विवरण या दस्तावेजों की आवश्यकता है, तो इसे तुरंत उधारकर्ताओं को सूचित करना होगा। विनियमित संस्थायें ऋण देने के मामले में लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। हालांकि, यह उधारदाताओं को समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई क्रेडिट-लिंक्ड योजनाओं में भाग लेने से नहीं रोकता है। ऋण की स्वीकृति और दस्तावेजीकरण के पूरा होने पर, बैंक को ऋण के नियमों और शर्तों के अनुरूप स्वीकृत ऋणों का समय पर संवितरण सुनिश्चित करना चाहिए। सूक्ष्मवित्त ऋण के लिए विनियमित संस्थायें कोई प्रतिभूति नहीं लेंगे।

सभी विनियमित संस्थायें उधारकर्ता को उनके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में एक ऋण कार्ड प्रदान करेंगें, जिसमें उधारकर्ता की विवरणी, मूल्य निर्धारण पर सरलीकृत तथ्य-पत्रक, ऋण से जुड़े अन्य सभी नियम और शर्तें, पुनर्भुगतान संबंधी जानकारी, संपर्क अधिकारी के नाम व संपर्क नंबर तथा शिकायत निवारण प्रणाली का विवरण होगा। विनियमित संस्थायें या उनके प्रतिनिधि वसूली के लिए किसी भी कठोर तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगी। इन निम्न आय वाले उधारकर्ता को कोई अनावश्यक प्रताड़ित नहीं करे, इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं। इसके तहत निम्नलिखित तरीकों को कठोर माना गया है:

- धमकी के लहजे में बात करना या अभद्र भाषा का प्रयोग
- उधारकर्ता को अनवरत फोन करना और/या प्रातः 9:00 बजे से पहले और सायं 6:00 बजे के बाद फोन करना
- उधारकर्ता के रिश्तेदारों, दोस्तों या सहकर्मियों को परेशान करना
- उधारकर्ताओ के नाम प्रकाशित करना
- उधारकर्ता या उधारकर्ता के परिवार/संपत्ति/प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के लिए हिंसा या अन्य ऐसे साधनों का उपयोग या उपयोग करने की धमकी देना
- उधारकर्ता को ऋण-बकाया के बारे में या गैर-चुकौती के परिणामों के बारे में गलत बताना

उपसंहार

सूक्ष्मवित्त ऋणों के विनियमन पर नए दिशा-निर्देशों से निम्न आय वर्ग के उधारकर्ता को कई लाभ मिलने जा रहे हैं। पारिवारिक आय-सीमा बढ़ाने से बहुत से नए लोग सूक्ष्म-वित्त ऋण का लाभ ले पायेंगे। पहले यह प्रावधान था कि एक व्यक्ति दो से अधिक विनियमित संस्थाओं से ऋण नहीं ले सकता है। अब यह उपबंध नहीं रह गया है। अब केवल एक उपबंध है जिसके तहत पारिवारिक आय के 50 % से अधिक से अधिक पुनर्भुगतान की राशि नहीं हो सकती है। कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्त्तन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए भी किया गया है, जिसके तहत अब एनबीएफसी-एमएफआई को अपनी निवल आस्तियों का 85% की जगह केवल 75% अर्हकारी आस्तियों के रूप में रखना आवश्यक है। साथ ही, पहले एनबीएफसी-एमएफआई के अतिरिक्त अन्य एनबीएफसी अपनी कुल आस्तियों के 10% से अधिक के सूक्ष्मवित्त ऋण प्रदान नहीं कर सकते थे, वे अब कुल आस्तियों के 25% तक ऋण प्रदान कर सकते हैं।

इन परिवर्तित निदेशों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूक्ष्मवित्त ऋण देने हेतु अधिक सक्षम बनाया गया है। उम्मीद की जाती है कि हाल के प्रावधानों से सूक्ष्मवित्त ऋणों में अधिक पारदर्शिता आएगी, और लाभार्थी विनियमित संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में सहज महसूस करेंगे। ये दिशा-निर्देश देश के निम्न आय-वर्ग के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में एवं उनकी आय बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी होंगें, साथ ही देश के समेकित विकास में मील के पत्थर साबित होंगें तथा देश के सकल-घरेलू-उत्पाद बढ़ाने में भी काफी प्रभावी होंगें।

■

संदर्भ:

RBI Consultative Document on Regulation of Microfinance dated 14-06-2021

Master Direction RBI/DOR/2021-22/89/ DoR.FIN. REC.95/03.10.038/2021-22 dated 14-03-2022 (Updated up to 25-07-2022)

डिजिटल मुद्रा का वर्तमान और भविष्य

- डॉ. प्रशांत रामटेके

आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है और इस नई तकनीक से कोई भी देश अब अछूता नहीं रहा है। डिजिटल मुद्रा समय की मांग है और यह अब देश का भविष्य है। मानव सभ्यता के विकास में प्रारंभिक चरण में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। लेकिन बाद में लोगों की जरूरतें बढ़ी और वस्तु विनिमय से कठिनाइयाँ पैदा होने लगीं जिसके कारण कौड़ियों से व्यापार आरंभ हुआ जो बाद में सिक्कों में बदल गया। प्राचीन काल के सिक्के 'आहत सिक्के' कहलाते थे और बाद में यह सिक्के कांसा, तांबा, चांदी और स्वर्ण में बनाए गए। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मध्ययुगीन काल में शेर शाह सूरी ने भारत में अपने शासन के दौरान किया था जो आज तक प्रचलन में है। वर्तमान में भारत में जो रुपया चलता है, दरअसल यह कई सालों के बाद रुपया बना है। सबसे पहले चलन में फूटी कौड़ी थी जो बाद में कौड़ी बनी। इसके बाद कौड़ी से दमड़ी बनी, दमड़ी से धेला बना, धेला से पाई बनी, पाई से पैसा बना, पैसे से आना बना और आना से रुपया बना और अब डिजिटल मुद्रा का जमाना आ गया है!

डिजिटल क्षेत्र में आज भारत किसी भी देश से कम नहीं है। भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। शॉपिंग, बिल भरने से लेकर व्यापार करने तक, भारत डिजिटल बन चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत डिजिटली बहुत प्रगति कर चुका है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जैसे भीम यूपीआई, डिजिलॉकर, कोविन, आधार आदि डिजिटल हो चुकी हैं। इन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने भारत के नागरिकों के कामों को काफी आसान कर दिया है। अब भारत सरकार ने बैंकिंग के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है। भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल मुद्रा को लाकर यह बदलाव किया है।

प्रबंधक, मौद्रिक नीति विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

डिजिटल मुद्रा किसे कहते है?

डिजिटल करेंसी (डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी या इलेक्ट्रॉनिक करेंसी) कोई भी करेंसी, पैसा, या पैसे जैसी संपत्ति जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है और जिसके संचालन, संग्रहण और लेन-देन के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, डिजिटल मुद्रा या करेंसी कहलाती है।

डिजिटल करेंसी को एक चिन्ह के रूप में ऑनलाइन इंटरनेट पर उसके डिजिटल कंप्यूटर पर देखा जा सकता है लेकिन उसे सामान्य मुद्रा के समान छुआ नहीं जा सकता है। डिजिटल करेंसी के अंतर्गत वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आते हैं।

डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल इंटरनेट पर जब चाहे किया जा सकता है और इससे लेन-देन की रफ्तार में और ज्यादा बढ़ोतरी आयेगी। इसके साथ ही डिजिटल करेंसी के उपयोग से भौतिक रूप में बनने वाली मुद्रा जैसे सिक्के और नोटों की लागत में कमी आयेगी।

भारत सरकार की पहल

वर्ष 2022 का यूनियन बजट संसद में 1 फरवरी, 2022 को प्रस्तुत किया गया। भारत की माननीय वित्त मंत्री ने बजट के दौरान यह घोषित किया कि वर्ष 2022-2023 में डिजिटल

करेंसी की शुरुआत होगी। भारत की वित्त मंत्री के नेतृत्व में भारतीय रिज़र्व बैंक की बैठक हुई जिसमें डिजिटल मुद्रा पर चर्चा की गई। चर्चा में भारत सरकार ने केंद्रीय बैंक से डिजिटल मुद्रा की शुरुआत करने की बात की। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बैंक को डिजिटल करेंसी लाने का सुझाव दिया जिससे लोग पैसों को डिजिटली इस्तेमाल कर सकें।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 22 के तहत, बैंक को "भारत में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक नोटों के निर्गम और आरक्षित निधियों के रखे जाने के विनियमन तथा देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली का देश हित में सामान्य संचालन का अधिकार है।" रिज़र्व बैंक को आवश्यक वैधानिक शक्तियां आरबीआई अधिनियम की विभिन्न धाराओं से प्राप्त होती हैं। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 को संशोधित किया गया और भारत सरकार ने 30 मार्च 2022 को राजपत्र अधिसूचना जारी की। इन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हुए डिजिटल मुद्रा आरंभ की गई है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) कहा जाता है।

डिजिटल रुपया- थोक खंड (ई₹-डब्ल्यू) का पहला प्रायोगिक परिचालन 01 नवंबर 2022 से आरंभ हुआ और रिटेल डिजिटल रुपया (ई₹-आर) का पहला प्रायोगिक परिचालन 01 दिसंबर 2022 से आरंभ हुआ। रिटेल डिजिटल रुपया सभी के लिए खुला है जबकि डिजिटल रुपया- थोक खंड कुछ चुनिंदा वित्तीय संस्थानों तक सीमित किया गया है। इस प्रायोगिक परिचालन में चरणबद्ध भागीदारी के लिए आठ बैंकों की पहचान की गई थी (अब यह संख्या 13 हो गई है)। पहला चरण देश भर के चार शहरों में चार बैंकों, अर्थात्, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ शुरू किया गया। चार अन्य बैंक, अर्थात्, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक बाद में इस प्रायोगिक परिचालन में शामिल हुए। इस प्रायोगिक परिचालन की शुरुआत में चार शहरों, अर्थात्, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को शामिल किया गया और बाद में अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक बढ़ाया गया (अब 80 स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध हो गई है)। आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक बैंकों, उपयोगकर्ताओं और स्थानों को शामिल करने के लिए प्रायोगिक परिचालन का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा।

डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता

अवैध गतिविधियों पर रोक: बिना किसी सरकारी निगरानी और सीमा-पार भुगतान में आसानी के कारण इस प्रकार की डिजिटल मुद्रा का उपयोग प्रायः चोरी, आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आदि के लिये काफी आसानी से किया जा सकता है। डिजिटल मुद्रा को नियंत्रित करके केंद्रीय बैंक इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगा सकता है।

स्थिरता: चूँकि क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल मुद्रा किसी भी संपत्ति अथवा मुद्रा द्वारा समर्थित नहीं होती है और इसका मूल्य केवल मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, इसलिये बिटकॉइन जैसे अन्य क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में काफी अस्थिरता देखने को मिलती है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को किसी संपत्ति अथवा पारंपरिक मुद्रा का समर्थन प्राप्त होगा, जिसके कारण इसका मूल्य अन्य डिजिटल मुद्राओं जैसे एथरियम और बिटकॉइन की तरह अस्थिर नहीं होगा।

डॉलर पर निर्भरता को कम करना: यह भारत को अपने सामरिक साझेदारों के साथ व्यापार हेतु लेन-देन की मुद्रा के रूप में डिजिटल रुपया के प्रभुत्त्व को स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे डॉलर पर भारत की निर्भरता स्वतः ही कम हो जाएगी।

डिजिटल रुपए का महत्त्व

मौद्रिक नीति का तत्काल प्रभाव: डिजिटल रुपए के उपयोग से रिज़र्व बैंक को प्रत्यक्ष रुप से मुद्रा सृजन और आपूर्ति की शक्ति प्राप्त होगी।

जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा: देश की सरकार अथवा केंद्रीय

बैंक द्वारा समर्थित डिजिटल रुपया, भारतीय नियामकों को अर्थव्यवस्था में लेन-देन और ऋण प्रवाह की निगरानी में मदद करेगा, जिससे घोटालों और धोखाधड़ी की निगरानी करने में सहायता मिलेगी और जमाकर्ताओं के पैसे को भी सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। इसके अलावा, यह निवेशकों को मौजूदा अत्यधिक जोखिम वाली डिजिटल मुद्रा की तुलना में एक अधिक स्थिर और सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा।

बैंकिंग प्रणाली के लिये नया आयाम: सरकार द्वारा समर्थित आधिकारिक डिजिटल मुद्रा आम उपयोगकर्त्ताओं और उपभोक्ताओं को नकदी का उपयोग न करने के प्रति प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण हो सकती है, जो कि कर चोरी पर नियंत्रण हेतु काफी उपयोगी होगा। डिजिटल रुपया की मदद से कैशबैक, पैसे भेजने, ऋण देने, बीमा, शेयर खरीदने और दूसरे वित्तीय लेन-देनों को आसान बना देगा।

विदेशों में डिजिटल करेंसी

केंद्रीय बैंकों के 2022 बीआईएस सर्वेक्षण में पाया गया कि सीबीडीसी की संभावना पर पूरे विश्व में 86 केंद्रीय बैंक ऐसे हैं जो सक्रिय रूप से शोध में लगे थे, 60% से अधिक केंद्रीय बैंकों ने सीबीडीसी में रुचि दिखाई हैं और 10 देशों ने सीबीडीसी की शुरुआत भी की है।

डिजिटल करेंसी की विशेषताएं एवं लाभ

- डिजिटल करेंसी को देश की सरकार द्वारा मान्य किया जाएगा।
- डिजिटल करेंसी को देश के केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट में शामिल किया जाएगा।
- डिजिटल करेंसी के आने से लोगों को नकदी रुपयों पर निर्भर होने से छुटकारा मिलेगा। लोगों को अक्सर नकदी रुपयों को रखने में और इस्तेमाल करने में परेशानी होती है। कभी-कभी वे सही समय पर नकदी रुपयों का आहरण या जमा भी नहीं करा सकते हैं। इसलिए इस मुद्रा के आने से लोगों को नकदी रुपए पर निर्भर होने से छुटकारा मिल सकेगा।
- रुपयों को प्रिंट कराने में जितना पैसा सरकार का लग जाता है, उसमें भी कमी आएगी। यह पैसा जमा कराने और आहरण के तरीके को काफी आसान कर देगा क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा।
- डिजिटल मुद्रा के आने से बैंकिंग धोखाधड़ी में भी कमी आएगी।
- भौतिक कैश की चोरी होने की संभावना काफी अधिक होती है। इस मामले में देखा जाए तो डिजिटल करेंसी काफी ज्यादा सुरक्षित है।
- इससे नकदी पर कम निर्भरता, कम लेन-देन लागत के कारण सिक्का ढलाई/कागज छपाई में उच्च लाभ, कम निपटान जोखिम का लाभ प्राप्त होगा। सीबीडीसी शुरु होने से संभवतः अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय, विनियमित और वैध मुद्रा आधारित भुगतान विकल्प का मार्ग प्रशस्त होगा।

डिजिटल करेंसी से नुकसान

यह तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी नई चीज के आने से जितना उस चीज का फायदा होता है, उतना ही वह अपने साथ कुछ नुकसान भी लेकर आती है।

- डिजिटल मुद्रा सुरक्षित हो सकती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं क्योंकि इसका संबंध इंटरनेट और तकनीक से है। अतः साइबर अपराध जैसे खतरे हमेशा मंडराते रहते हैं।
- डिजिटल करेंसी का लेन-देन इंटरनेट पर निर्भर करेगा। ऐसे में यदि कभी इंटरनेट की समस्या होगी तो हो सकता है, इसके इस्तेमाल में परेशानी या व्यवधान आएंगे।

डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टोकरेंसी में क्या अंतर है?

डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी में मुख्य अंतर है कि डिजिटल करेंसी, देश की सरकार द्वारा जारी की जाती है जिस पर मुख्य रूप से जारी करने वाले देश की सरकार का नियंत्रण होता है। वहीं दूसरी ओर, क्रिप्टोकरेंसी को किसी भी देश की सरकार अथवा बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है जिसकी वजह से क्रिप्टोकरेंसी पर किसी भी देश की सरकार का कोई नियंत्रण

नहीं होता है। इसी कारण से क्रिप्टोकरेंसी को लीगल यानी वैध नहीं माना जाता है।

डिजिटल करेंसी स्थिरता के नजरिए से बहुत ही अच्छा विकल्प है क्योंकि इसको केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जायेगा। साथ ही, इसकी कीमत में भी भौतिक मुद्रा के अनुसार परिवर्तन होगा। लेकिन बात की जाए क्रिप्टोकरेंसी की तो इसमें स्थिरता की कमी बहुत ही ज्यादा है जिससे इसकी कीमतों में बहुत ही ज्यादा उतार-चढ़ाव होते रहते हैं जो हमने अनुभव किए हैं।

डिजिटल करेंसी में पारदर्शिता का गुण पाया जाता है। किसके पास कितनी डिजिटल करेंसी है और कब उसका इस्तेमाल किया गया, यह सब डाटा सरकार के पास होगा। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी पर कोई भी बाहरी व्यक्ति या संस्था हस्तक्षेप नहीं कर सकती है क्योंकि इसका सारा डाटा ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से सुरक्षित रहता है। सभी क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल करेंसी हैं किन्तु सभी डिजिटल करेंसी, क्रिप्टोकरेंसी नहीं होगी।

डिजिटल मुद्रा का उपयोग और संचालन

भारत में आरंभ की गई डिजिटल करेंसी दुनियाभर में प्रचलित क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन की तरह ही उपयोग में लाई जाएगी। इसमें फर्क सिर्फ इतना होगा कि डिजिटल करेंसी सरकारी करेंसी होगी। इस पर सरकारी यानी कानून की मोहर होगी। डिजिटल करेंसी को कैसे उपयोग करें, इस संबंध में दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं।

डिजिटल मुद्रा का भविष्य

- डिजिटल मुद्रा का निर्माण भारत को अपने नागरिकों को सशक्त बनाने और हमारी लगातार बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने तथा पुरानी बैंकिंग प्रणाली से मुक्त होने में सक्षम बनाने का अवसर प्रदान करेगा।
- समष्टि अर्थव्यवस्था, तरलता, बैंकिंग प्रणाली एवं मुद्रा बाजारों पर इसके प्रभाव को देखते हुए नीति-निर्माताओं के लिये भारत में डिजिटल मुद्रा का उपयोग आवश्यक हो गया है।

निष्कर्ष

आने वाले समय में डिजिटल करेंसी को भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ावा मिलने की प्रबल संभावना है। नई तकनीक के इस्तेमाल से यह भारत के लोगों को जागरूक बनाने में सहायक होगी। यह भारत की मुद्रा को एक सस्ते और कुशल मुद्रा प्रणाली की ओर ले जाता हुआ साबित हो सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल रुपया, भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें तेज़ी से बढ़ती वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपना स्थान तलाशने में मदद करेगा। साथ ही, भारत के बैंकिंग मॉडल में एक नया आयाम भी जुड़ सकेगा। आने वाले समय में बड़े देशों के बीच छद्म डिजिटल मुद्रा युद्ध देखने को मिल सकता है, इसलिये भारत को भी अपनी डिजिटल मुद्रा जारी करना आवश्यक हो गया था और यह समय की मांग थी। डिजिटल संव्यवहार का कितना महत्व है, यह हम कोरोना महामारी में देख चुके है। नई तकनीक के साथ-साथ और बैंकिंग क्षेत्र में आनेवाले नये उत्पादों को देखते हुए वित्तीय साक्षरता पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। डिजिटल मुद्रा के उपयोग से पर्यावरण का संरक्षण होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिजिटल मुद्रा का भविष्य उज्ज्वल है।

■

संदर्भ:

1. बीआईएस वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट, जून 2023

2. सीबीडीसी ग्लोबल इंडेक्स, प्रथम संस्करण, अप्रैल 2021

3. भारिबैं, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

4. भारिबैं वेबसाइट

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका

- अभिनव श्रीवास्तव

भाषा शब्द संस्कृत की 'भाष' धातु से बना है जिसका अर्थ है – बोलना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाये। इस प्रकार प्रभावी सम्प्रेषण में उसी भाषा का महत्व है जिसे बोलना सहज और सरल है। सर्व विदित है की बोलने में सबसे सहज और सरल मातृभाषा / लोकभाषा ही होती है। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका अप्रतिम है। बैंकिंग और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी उपभोक्ता सेवा, जागरूकता, वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय समावेशन के संदर्भ में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका अहम है।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन से आशय समाज के वंचित क्षेत्रों तथा निम्न आय वर्गों को सस्ती लागत पर वित्तीय सेवाएँ तथा समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की प्रक्रिया से है।[1] भारत में वित्तीय समावेशन की संकल्पना वर्ष 2005 में मंगलम गाँव में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के साथ प्रारम्भ हुई। संप्रति वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और समावेशी विकास के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बन कर उभरा है। किन्तु अभी भी दुर्गम क्षेत्रों में बैंकिंग की पहुँच के लिए पुरजोर प्रयास करने हैं। जहाँ डिजिटल बैंकिंग वित्तीय समावेशन के सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी है, वहीं यह भी आवश्यक है कि डिजिटल बैंकिंग से पहले उपभोक्ता में बैंकिंग की आदत विकसित हो पाये। ग्राहक को इस बात का यकीन होना चाहिए कि यह बैंकिंग पुराने जमाने की मूर्त बैंकिंग की तुलना में कहीं अधिक लाभप्रद और उपयोगी है और वह घर बैठे बैंक द्वारा दी जा रही अनेक सुविधाएँ इसके माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार सम्प्रेषण और भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

उप महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

ग्राहकों का इस नई बैंकिंग से जुड़ना और उनकी संतुष्टि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे क्या-क्या सुविधाएँ प्राप्त होंगी। बैंकों को इसकी रचना इस प्रकार करनी चाहिए कि नए उपभोक्ताओं को इस से प्रथम बार जुड़ने में कोई परेशानी ना महसूस हो। आवश्यकता महसूस होने के साथ-साथ इसकी सरलता और सुगमता ही इस पर उपभोक्ताओं का विश्वास कायम कर सकेगी। डिजिटल बैंकिंग की पहुँच और पिछले कुछ वर्षों में इसकी प्रगति के आंकड़े वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के संबंध में आशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

मैककिंसे एशिया पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेस सर्वेक्षण-2017 के अनुसार एशिया में डिजिटल बैंकिंग की पहुँच 2014 से 2017 के बीच ही लगभग तीन गुनी हो गई थी। पुनः वर्ष 2021 में किए गए इस सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 के बीच विकसित एशिया[2] में यह लगभग 90 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर

[1] *वित्तीय समावेशन पर समिति, भारतीय रिज़र्व बैंक, 2008 ।*

रही है और शेष एशिया[3] के लिए 54 प्रतिशत से बढ़कर 88 प्रतिशत हो गई है। डिजिटल बैंकिंग के सभी माध्यमों के बीच स्मार्टफोन बैंकिंग में अधिक तेज़ी से वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समक्ष वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के लिए यह असीम संभावनाओं का संकेत है। विकसित एशिया में प्रति व्यक्ति प्रति माह बैंक शाखा में जा कर किया जाने वाला लेन-देन मात्र 1.8 है जबकि डिजिटल बैंकिंग का प्रति व्यक्ति प्रति माह लेन-देन 9.3 है। दूसरी ओर शेष एशिया के लिए यह आंकड़े क्रमशः 1.7 और 2.8 हैं।[4] इससे ज्ञात होता है कि इन देशों (जिनमें भारत शामिल है) में बैंकों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाने एवं इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की काफी संभावनाएँ हैं।

राष्ट्रीय कार्यनीति 2019-2024

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति के तत्वाधान में भारत के लिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2019-2024 बनाई है और यह भारत सरकार एवं अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों जैसे- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से प्राप्त जानकारियों एवं सुझाव पर आधारित है। इस दस्तावेज में भारत में वित्तीय समावेशन संबंधी विशेष लक्ष्यों, उनके लिए कार्य-योजना तथा प्रगति मापने की पद्धति का विश्लेषण शामिल है। इस दस्तावेज में विभिन्न देशों में वित्तीय समावेशन की कार्यनीतियों का विश्लेषण और उनसे सीख भी दी गई है। इसमें एक प्रमुख सीख है – *लास्ट माइल डिलीवरी*। चूंकि कई ग्रामीण ग्राहक वित्तीय सेवा प्रदाता तक पहुँचने के लिए अपने दैनिक वेतन से वंचित नहीं होना चाहते, अतः यह महत्वपूर्ण है कि सेवा प्रदाता से मिलने में लिया गया समय और दूरी को कम करने का प्रयास किया जाये। इस संबंध में भारत में यद्यपि व्यवसायिक प्रतिनिधि (बीसी) स्वयं ग्राहकों तक पहुँचने में सक्षम रहे हैं, फिर भी ग्राहक संरक्षण का मुद्दा, उपयुक्त उत्पाद प्रदान करना, वित्तीय जागरूकता बढ़ाना, एजेंटों की गतिविधियों पर सक्रिय निगरानी रखना और एजेंट/बीसी नेटवर्क की स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों पर अब भी नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस *लास्ट माइल डिलीवरी* को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ग्राहकों से किया जाने वाला संवाद सरल हो, सुलभ हो और उनकी मातृभाषा में हो।

डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता

वर्तमान समय में बैंकिंग का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। एक ओर बैंक शाखाओं की पुरानी व्यवस्था है तो दूसरी ओर नियो-बैंक की संकल्पना आ रही है जो पूरी तरह से डिजिटल हैं। वर्तमान में हर पटल पर यह चर्चा की जा रही है कि डिजिटल वित्तीय सेवाओं के संबंध में वित्तीय साक्षरता को भी अधिक महत्व दिये जाने की आवश्यकता है। साक्षरता सदैव ऐसी भाषा में होनी चाहिए जिसे समझना सरल और सहज हो।

डिजिटल बैंकिंग की सफलता और ग्राहक संतुष्टि के लिए आवश्यक है कि तकनीकी आधारित सभी बैंकिंग उत्पादों पर उपभोक्ताओं को उनकी भाषा में ही शिक्षित किया जाये अन्यथा उपभोक्ता इनसे जुड़ने में सहजता नहीं महसूस करेगा। लगभग सभी बैंक अपने ऑनलाइन बैंकिंग के लॉग-इन पृष्ठ पर ऑनलाइन बैंकिंग में आवश्यक सावधानियाँ एवं इससे जुड़े हुए जोखिम के बारे में बताते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 'आरबीआई कहता है" के लिए एक पृथक पृष्ठ हिंदी सहित 13 भाषाओं में उपलब्ध है जिसमें बैंकिंग से जुड़ी अनेक जानकारी दी गई है। हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध इस पृष्ठ के विभिन्न संदेश वित्तीय समावेशन में निश्चय ही सहायक हैं।

इसके अतिरिक्त 'वित्तीय शिक्षण' पर एक पृथक पृष्ठ है जिस पर विद्यालय के बच्चों, प्रशिक्षकों तथा उद्यमियों आदि के लिए विभिन्न वित्तीय जागरूकता संदेश, चित्रकथा तथा विडियो आदि दिये गए हैं। यह पृष्ठ भी 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। डिजिटल बैंकिंग के कुछ आधारभूत घटकों जैसे की एटीएम एवं डेबिट कार्ड आदि पर चित्रकथा पुस्तक भी अनेक भाषाओं में जारी की गई हैं।

---

[2] ***विकसित एशिया*** *– (आस्ट्रेलिया, हाँग-काँग, जापान, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, ताइवान)*

[3] ***शेष एशिया -*** *(भारत, चीन, इन्डोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थायलैंड, वियतनाम)*

[4] *ग्लोबल बैंकिंग (अप्रैल, 2018), मैकर्किंसे अँड कंपनी*

उपभोक्ता सेवा एवं शिकायत प्रबंधन

वित्तीय समावेशन के लिए उपभोक्ताओं को उनकी भाषा में शिक्षित एवं जागरूक करने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि उन्हें यह विश्वास हो कि बैंकिंग में उनकी समस्याओं अथवा शिकायतों का समाधान भी सरल और सुलभ होगा। इसके लिए उनके द्वारा अपनी भाषा में शिकायत करने की सुविधा होनी चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) का एक अलग पोर्टल बनाया गया है जो द्विभाषी रूप में उपलब्ध है। उपभोक्ता इस पोर्टल पर हिंदी में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हाल में ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकीकृत लोकपाल योजना 2021 जारी की गई है। इससे संबंधित सभी जानकारी एवं संदेश हिंदी में उपलब्ध कराये गए हैं। भविष्य में इस पोर्टल को कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराये जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

चुनौतियाँ और संभावनाएँ

वित्तीय समावेशन में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि सभी बैंकिंग कार्यों में एवं विशेषकर उपभोक्ता सेवा, शिक्षा, संरक्षण एवं शिकायत निवारण में इनका प्रयोग अधिक से अधिक किया जाये। हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की भावी संभावनाओं को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है–

वैज्ञानिक संभावनाएँ, तकनीकी संभावनाएँ एवं व्यवहारिक संभावनाएँ। ये संभावनाएँ हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के आगे आने वाली चुनौतियों से ही संबंधित हैं। वैज्ञानिक संभावनाएँ हिंदी के मानकीकरण तथा उसमें बोधगम्यता एवं एकरूपता लाने पर आधारित हैं। तकनीकी संभावनाएँ हिंदी के प्रयोग में तकनीकी और और प्रौद्योगिकी को समाहित करने से जुड़ी हैं। व्यावहारिक संभावनाएँ हिंदी को व्यवहार में लाने से संबंधित हैं।

तकनीकी चुनौतियाँ और संभावनाएँ

हिंदी भाषा के तकनीकी विकास के क्षेत्र में नवोन्मेष बैंकिंग तथा वित्तीय समावेशन में हिंदी की स्थिति को सुदृढ़ करेगा। आज का युग प्रौद्योगिकी का युग है और प्रत्येक उद्योग और सेवा की यह आधारशिला बन चुकी है। स्पष्ट है कि हिंदी को प्रौद्योगिकी से जोड़ना परम आवश्यक है। अँग्रेजी में लंबे समय से ऐसी कई सुविधाएँ हैं जिनसे कार्यालयी कार्य सरल हो गए हैं जैसे कि स्पीच रिकोग्नीशन सॉफ्टवेयर, लेखन पैड की सुविधा, स्कैन फाइल और पीडीएफ़ फाइल को टेक्स्ट में बदलना, वर्तनी की स्वतः जांच की सुविधा आदि। यूनिकोड के अवतरण के पश्चात इनमें से कई सुविधाएँ हिंदी में भी उपलब्ध हो गई हैं। वैश्विक स्तर पर आई सूचना क्रान्ति से दूर रह कर कोई भी भाषा लोगों से नहीं जुड़ सकती। कंप्यूटर के विकास के आरंभिक काल में अँग्रेजी को छोड़कर विश्व की अन्य भाषाओं के कंप्यूटर पर प्रयोग की दिशा में बहुत कम ध्यान दिया गया था जिसके कारण सामान्य जन में यह धारणा व्याप्त हो गई थी कि कंप्यूटर पर अँग्रेजी के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा में कार्य ही नहीं किया जा सकता है। किन्तु यूनिकोड के आने के बाद से स्थिति तेजी से बदली है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के भी नित नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। और इनके बारे में जागरूकता लाये जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भी सभी चुनौतियों को पार कर चुका है। विभिन्न सोशल मीडिया साइट पर हिंदी में अभिरुचि रखने वालों के लिए विशेष समुदाय एवं समूह बन चुके हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर हिंदी में कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में वित्तीय समावेशन तथा साक्षरता के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

उपसंहार

इस प्रकार बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में हिंदी प्रयोग की वर्तमान स्थिति आशाजनक है। हिंदी के समक्ष जो चुनौतियाँ एक लंबे समय से रही हैं, उनमें से अधिकांश का हल निकाला जा चुका है। आवश्यकता है तो हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग में हो रहे नवोन्मेषों और संभावनाओं के अनुकूल दोहन की और इसके यथासंभव प्रयोग की, जिससे हम सरल एवं प्रभावी संवाद एवं सम्प्रेषण के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग से जोड़ सकें और वित्तीय समावेशन की संकल्पना को भलीभाँति फलीभूत कर सकें। ■

भारत में डिजिटल क्रांति

- प्रहलाद सबनानी

भारत को जी-20 समूह की अध्यक्षता मिलना एक वरदान साबित हुआ है। भारत ने हाल ही के वर्षों में कई क्षेत्रों में जो अतुलनीय प्रगति की है। भारत ने चूंकि जी-20 समूह के सदस्य देशों की विभिन्न बैठकें देश के लगभग समस्त राज्यों के अलग अलग नगरों में आयोजित की, इससे देश के समस्त राज्यों ने न केवल इन बैठकों के लिए विशेष तैयारियां कीं बल्कि विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधि भी इन शहरों में भारत की आर्थिक प्रगति की झलक देख पाये।

जी-20 समूह का महत्व इस जानकारी से बहुत स्पष्ट तौर पर झलकता है कि पूरे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में जी-20 समूह के सदस्य देशों की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत की है। विश्व के 193 देशों का कुल सकल घरेलू उत्पाद 95 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इसमें, जी-20 समूह के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था का आकार 75 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। विश्व की पाँच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं (अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी एवं भारत) को मिलाकर दुनिया की आधी से अधिक अर्थव्यवस्था बनती है। वर्ष 2022 में केवल 18 देशों का सकल घरेलू उत्पाद एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक था। पूरे विश्व का 75 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय विदेश व्यापार जी-20 समूह के सदस्य देशों में होता है। कुल मिलाकर, जी-20 समूह के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। अतः स्वाभाविक तौर पर जी-20 समूह का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटना है एवं जी-20 समूह के सदस्य देशों की जिम्मेदारी वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की है। जी-20 समूह के सदस्य देशों में शामिल हैं - अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, यूरोपीय संघ, तुर्की एवं ब्रिटेन।

सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक
ग्वालियर

जी-20 समूह के सदस्य देशों के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से एक विशेष 'डिजिटल इकॉनामी वर्किंग ग्रुप' का वर्ष 2017 में गठन किया गया था। पहले इसे 'डिजिटल इकॉनामी टास्क फोर्स' के नाम से जाना जाता था। भारत में इस वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक 13 फरवरी, 2023 को लखनऊ में सम्पन्न हुई थी। इस बैठक में भारत के डिजिटल कायाकल्प के सफर की रूपरेखा प्रदर्शित की गई तथा भारत में डिजिटल पब्लिक आधारभूत ढाँचे एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। नैसकॉम एवं यूनेस्को द्वारा प्रदान की गई एक जानकारी के अनुसार, डिजिटल स्किल गैप की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028 तक 11 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के नुकसान की आशंका जताई गई है। अतः इस बैठक में वैश्विक स्तर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया गया।

जी-20 समूह के सदस्य देशों के डिजिटल इकॉनामी वर्किंग ग्रूप की दूसरी बैठक हैदराबाद में दिनांक 17 से 19 अप्रैल, 2023 के बीच हुई। इस बैठक में भारत को वैश्विक स्तर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार माना गया इससे भारत की जी-20 अध्यक्षता से वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवथा को बल मिलता दिखाई दिया। भारत में हुई डिजिटल क्रांति पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश की गई। जी-20 की अध्यक्षता

मिलने के बाद से भारत पूरे विश्व में में डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। इस बैठक में हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉड बैंड के उपयोग और प्रभाव पर व्यापक चर्चा हुई।

भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय एवं कृषि क्षेत्रों में डिजिटल व्यवस्था को जिस प्रकार सफलतापूर्वक लागू किया है, अन्य देश इस मॉडल को किस प्रकार लागू कर सकते हैं, इस विषय पर भी गम्भीर चर्चा हुई है। साथ ही, 'कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड', 'सस्टेनेबल ग्रीन डिजिटल इंफ्रा' जैसे विषयों को आगे बढ़ाने पर भी सदस्य देशों के बीच सहमति बनी है। भारत में 5जी और 6जी तकनीक का विकास देखने जी-20 समूह के सदस्य देशों की एक टीम भारत के आईआईटी संस्थानों में भी गई। भारत में डिजिटल क्रांति से समूह के सदस्य देश इतने अधिक प्रभावित हुए हैं कि कई सदस्य देशों ने तो भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में अपनी रुचि दिखाई है एवं इस तकनीकि को यह देश अपने यहां भी लागू करना चाह रहे हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूपीआई प्लेटफोर्म पर, अब बहुत सफल तरीके से कार्य कर रहा है। यूपीआई ने 376 बैकों को अपने साथ जोड़ लिया है और इस प्लेटफोर्म पर 11.9 लाख करोड़ रुपए के 730 करोड़ लेन-देन किए जा रहे हैं। जुलाई 2015 में भारत ने 'डिजिटल इंडिया' पहल की शुरूआत की थी और आज इस स्थिति तक पहुँच गया हैं।

याद कीजिए, भारत में एक दौर हुआ करता था जब सामान्य नागरिक उत्पाद खरीदने के लिए दुकानों में जाया करते थे। बेहतर विकल्प की तलाश एवं कम कीमत पर सामान खरीदने के उद्देश्य से एक दुकान से दूसरी दुकान और दूसरी दुकान से तीसरी दुकान के चक्कर लगाते थे। उत्पादों की खरीद के पूर्व बैकों में जाकर राशि निकालनी होती थी, ताकि नकद राशि अदा कर उत्पाद खरीदें जा सकें। परंतु भारत में डिजिटल क्रांति के बाद अब नागरिक विभिन्न उत्पाद चंद मिनटों में खरीद लेते हैं, वह भी मोबाइल फोन पर। कल्पना कीजिए कि आज देश में एक व्यक्ति एक सामान खरीदने के लिए यदि 6 से 8 घंटे का समय बचा रहा है तो 140 करोड़ की आबादी कितना समय बचा पा रही है। बचाए गए इस समय का सार्थक उपयोग किया जाकर देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इससे 'डिजिटल इंडिया' को भी सहारा मिलेगा और वैसे भविष्य के आर्थिक सफर की बुनियाद भी यही है। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते बैंक तो जैसे नागरिकों की जेब में समा गई है, क्योंकि इंटरनेट एवं मोबाइल की सुविधा से नागरिक 24 घंटे X सातों दिन, रुपए को अपने खाते से दूसरे के खाते में हस्तांतरित कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्पादों की कीमत एवं गुणवत्ता के बारे में जानकारी हासिल कर उत्पाद को खरीद सकते हैं। साथ, ही, यह सुविधा तो अब देश के दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में भी उपलब्ध हो गई है।

बैंकिंग सुविधाओं को नागरिकों को प्रदान करने के मामले में तो भारत यूपीआई के माध्यम से बहुत आगे निकल आया है और आज यूरोपीयन विकसित देश भी भारत की ओर देख रहे हैं। डिजिटल आधारभूत ढाँचा विकसित करने के लिए भारत में काफी समय से उल्लेखनीय काम किया गया है। ऑप्टिकल केबल का जाल गावों तक बिछाया गया है। 5G तकनीक आने के बाद इसे भी देश के दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में ले जाया जा रहा है। ब्रॉड बैंड की सुविधा को गाँव-गाँव तक पहुँचाया गया है, ताकि इंटरनेट की उपलब्धता गाँव स्तर तक बनी रहे। ग्रामीणों को इन सुविधाओं का उपयोग करने हेतु प्रेरित किए जाने के प्रयास भी किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने तो नागरिकों को जागरूक करने के लिए बाकायदा एक अभियान ही चलाया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार बैंकिंग संव्यवहार किए जाने चाहिये।

केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा गरीब वर्ग के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते करोड़ों नागरिकों को बहुत आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही सब्सिडी आदि का पैसा भी सीधे ही लाभार्थियों के खातों में जमा हो जाता है, जिससे आय के रिसन (लीकेज) को पूर्णतः समाप्त कर लिया गया है। जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खाते, आधारकार्ड एवं मोबाइल को जोड़कर वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने के सफल प्रयास भी किए गए हैं। साथ

ही, अधिकतम सरकारी सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है ताकि नागरिकों को और अधिक सुविधाएँ प्रदान की जा सकें।

श्री एंगस मेडिसन दुनिया के जाने माने ब्रिटिश अर्थशास्त्री इतिहासकार रहे हैं। आपने विश्व के कई देशों के आर्थिक इतिहास पर गहरा शोध किया है। भारत के संदर्भ में आपका कहना है कि एक ईस्वी के पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित था। अब डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से भारत पुनः वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। इसकी प्रबल सम्भावनाएँ दिखाई देने लगी हैं। भारत में पिछले 9 वर्षों के दौरान किए गए कई आर्थिक उपायों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन अब तेज गति से पटरी पर दौड़ने लगा है। लगभग समस्त अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भी लगातार बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में भारत में आर्थिक विकास की दर पूरे विश्व में सबसे अधिक रहने वाली है।

साथ ही, कोरोना महामारी के दौरान भारत ने टेली शिक्षा, टेली मेडिसिन, वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से पूरे विश्व के सामने डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत में स्किल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित जनबल तैयार किया जा रहा है, जो विश्व के अन्य देशों में भी अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए तैयार है। अतः भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। भारत आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी।

■

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में फ्रीबीज़ का औचित्य

- नरेंद्र कुमार

देश में चुनावों से पहले राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न फ्रीबीज़ (मुफ़्त सुविधाओं) की घोषणा आज एक आम बात हो गई है। मुफ्त गैस सिलेंडर, चावल, दूध, मुफ्त बिजली-पानी, लड़कियों को मुफ्त स्मार्टफोन और साइकिल, लैपटॉप तथा बेरोजगारी भत्ता तक लगभग सभी राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त वस्तुएं और सेवाएँ देने के कई लोक-लुभावने वादे किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में आए भीषण संकट के पश्चात सरकारों द्वारा विभिन्न फ्रीबीज़ देना एक नई चर्चा का विषय बन गया है । 26 अगस्त 2022 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा वितरित मुफ्त उपहारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिकाओं को तीन सदस्यीय पीठ को भेज दिया, जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस तरह की प्रथा के प्रयोजन पर विचार करेगी।

'फ्रीबीज़' से क्या अभिप्राय है ?

आज "फ्रीबीज़' शब्द भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक संस्कृति में कोई नया विषय नहीं है। मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, राजनीतिक दल मुफ्त साज-सामान, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, साईकिल आदि का वादा करके एक-दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो 'फ्रीबीज़" सार्वजनिक कल्याणकारी उपाय हैं जो सरकार द्वारा जन उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से आम लोगों को निशुल्क प्रदान की जाती हैं। जहां तक भारतीय संदर्भ का सवाल है, हमारी विधिक संरचना में फ्रीबीज़ को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। अब तक इसका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा राज्य स्तर पर कुछ योजनाओं के प्रति अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करने के लिए एक राजनीतिक शब्द के रूप में किया जाता है। आगे इस बात की अत्यधिक संभावना है कि समय के साथ-साथ इसका अर्थ बदल जाएगा। अब यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोकलुभावन दबावों में किए गए कुछ व्यय विवाद का विषय हो सकते हैं, किन्तु हमारे देश की विशाल आबादी के बीच आय असमानता की अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इनमें से कुछ मुफ्त उपहारों और सुविधाओं को उचित ठहराया जा सकता है।

प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय

फ्रीबीज़ के अच्छे पक्ष

1. ***आर्थिक संवृद्धि में वृद्धि:*** एक ओर ऐसे कई दृष्टांत जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजनाओं के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में काफी सुधार आया हैं, वहीं दूसरी ओर फ्रीबीज़ के द्वारा जनसंख्या की उत्पादक क्षमता में वृद्धि हुई है और कुशल कार्मिकों की भारी संख्या में वृद्धि होने से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला है।

2. ***आपूर्तिकर्ता उद्योग को बढ़ावा :*** मुफ्त के रूप में दी जाने वाली वस्तुओं के प्रकार के आधार पर, राज्य की आर्थिक दशा में सुधार होगा। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु और बिहार की राज्य सरकारें सिलाई मशीन, साइकिल देने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि, इन्हें राज्य के बजट के साथ खरीदा गया था, इन वस्तुओं के उत्पादन द्वारा इनसे जुड़े उद्योगों के विकास में वृद्धि आयी हैं।

3. ***अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक:*** भारत जैसे देश में जहां राज्यों में विकास का एक निश्चित स्तर है (या नहीं है), चुनावों के आगमन पर, लोगों की ये अपेक्षाएं होती हैं जो मुफ्त के ऐसे वादों के माध्यम से पूरी होती हैं।

4. ***कम विकसित राज्यों के विकास के लिए लाभदायक :*** फ्रीबीज़ कम विकसित राज्यों की आबादी के लिए मददगार सिद्ध होगी, विशेषकर जहां जनसंख्या बहुत अधिक हैं, वहाँ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया जा सकता है। आमतौर पर इस तरह की मुफ्त वस्तुएँ स्थिति के आधार पर आवश्यकता/मांग-आधारित हो जाती हैं।

फ्रीबीज़ के खराब पक्ष

1. ***मैक्रोइकॉनॉमिक अस्थिरता की संभावना:*** मैक्रोइकॉनॉमिक्स का मूल ढांचा स्थिरता है और फ्रीबीज़ इस ढांचे को कमजोर करती है। भारी संख्या में मुफ्त में वितरित इन वस्तुओं से यह ढांचा प्रभावित होगा क्योंकि इस तरह दी जा रही सब्सिडी राज्य की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित करेगी, अधिकांश राज्यों की मजबूत वित्तीय स्थिति नहीं है और राजस्व के मामले में अक्सर इनके पास सीमित संसाधन होते हैं।

2. ***स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के विरुद्ध :*** लोक निधि से इन मुफ़्त वस्तुओं के तर्कहीन वादे करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की विचारधारा के विरुद्ध है। कम से कम यह निष्पक्ष चुनाव की धारणा के खिलाफ है क्योंकि स्पष्ट है कि हर राजनीतिक दल के पास लोक निधि तक पहुंच नहीं होगी। यह भी प्रश्न उठता है कि इस प्रकार मुफ्त उपहार देने की प्रथा कितनी नैतिक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324 के संदर्भ में राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषकों का तर्क है कि यह आपके अपने मतदाताओं को रिश्वत देने के समान है।

3. ***विनिर्माण उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव:*** इस तरह की फ्रीबीज़ कुशल और प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचे को कमजोर करके विनिर्माण क्षेत्र की उस गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा को कम करते हैं जो विनिर्माण क्षेत्र में उच्च-कारक दक्षताओं को सक्षम करती हैं।

4. ***पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव:*** मुफ्त बिजली, पानी और अन्य प्रकार की उपभोगी वस्तुओं की कुछ मात्रा में ये फ्रीबीज़ पर्यावरण और संतुलित विकास से परिव्यय को प्रभावित करती हैं। जब इन्हें 'मुफ्त' प्रदान किया जाता है तो चीजों को अधिक मात्रा में उपयोग करने की एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है (इस प्रकार संसाधनों की बर्बादी होती है)। संसाधनों के इस प्रकार दोहन होने से पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो सकता है।

5. ***दीर्घकालिक वित्तीय बोझ :*** एक बार मुफ़्त बिज़ली-पानी आदि के वायदे करने के बाद सरकार या तो अगले चुनाव चक्र में अपने वादे को पूरा करने के लिए विवश हो जाएगी या अपने वादे से अधिक करेगी, इससे सरकारी संसाधनों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ता है। एक समय के बाद राज्यों को अपनी उत्पादक पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करने, दीर्घकालिक आस्तियों के सृजन करने, राजस्व बढ़ाने तथा परिचालन दक्षता बढ़ाने, राजकोषीय जोखिम विश्लेषण करने तथा अपने ऋण प्रोफाइल की स्ट्रेस टेस्टिंग करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी।

उपसंहार

प्रत्येक राज्य को एक सहायक प्रणाली या यहां तक कि एक फ्रीबीज़ प्रणाली बनाने का अधिकार है, किन्तु यह इस तरह से किया जाना चाहिए कि यह देश की जनसंख्या पर आर्थिक बोझ न बने। एक ऐसी आर्थिक प्रणाली के लिए प्रयास करना आवश्यक है जो मुफ्त के लोक-लुभावन एवं अल्पकालिक उपायों के माध्यम से लोगों का उत्थान न करे। आर्थिक संदर्भों में फ्रीबीज़ के प्रभाव को समझने की आवश्यकता है तथा साथ ही सब्सिडी और फ्रीबीज़ के बीच अंतर करना भी आवश्यक है क्योंकि सब्सिडी उचित और विशेष रूप से लक्षित लाभ हैं जो मांग से उत्पन्न होते हैं। नीति आयोग की यह चेतावनी ध्यान देने योग्य है कि कृषि जैसे क्षेत्रों में सब्सिडी तथा फ्रीबीज़ की संस्कृति अपनाने से बचना होगा अन्यथा देश में श्रीलंका जैसे आर्थिक संकट की स्थिति बन सकती है। मुफ्त सुविधाओं और सब्सिडियों पर भारी धन व्यय जारी रहा तो संवृद्धि और कार्यदक्षता बढ़ाने के उपायों पर भी असर पड़ सकता है। प्रश्न यह नहीं है कि ये फ्रीबीज़ कितनी सस्ती हैं बल्कि यह है कि दीर्घकाल में यह होड़ हमारे आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे तथा जीवन गुणवत्ता के लिए कितनी महंगी पड़ सकती है।

■

रेग्युलेटर की नज़र से

- ब्रिज राज

रेग्युलेटरी एजेंसी विधायिका द्वारा बनाई गई एक सरकारी संस्था होती है, जिसका निर्माण विशिष्ट क़ानूनों को लागू करने और प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की एजेंसी के पास अर्ध-विधायी (Quasi-legislative), कार्यकारी (Executive) और न्यायिक (Judicial) कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतः क्षेत्र विशेष के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय क्षेत्र की रेग्युलेटरी एजेंसियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती है। इनकी इस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए संपादकीय समिति ने इनकी भूमिका के बारे में एक नया स्तम्भ शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न विनियामकों द्वारा की गई पहल को शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत जून 2015 के अंक से की गई। प्रस्तुत है इस कॉलम का लेख।

हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 अप्रैल 2023 को सभी लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र आरबीआई/2023-24/14 विवि.एसएफजी.आरईसी.सं.10/30.01.021/2023-24 के द्वारा **दिशानिर्देश** जारी किया। **दिशानिर्देश के अनुसार,** जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी में वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। इस संदर्भ में, वित्तीय क्षेत्र, संसाधन जुटाने और हरित गतिविधियों / परियोजनाओं में उनके आबंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हरित वित्त भी उत्तरोत्तर, भारत में गति प्राप्त कर रहा है। विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा निधि जुटाने के लिए जमाराशियां एक प्रमुख स्रोत है। यह देखा गया है कि कुछ आरई पहले से ही हरित गतिविधियों और परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए हरित जमाराशियों की पेशकश कर रहे हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए और देश में हरित वित्त पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने की दृष्टि से, आरई के लिए हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचे को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह ढांचा 1 जून 2023 से प्रभावी हो गया है।

मुख्य महाप्रबंधक
विनियमन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ) के लिए रूपरेखा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 जून 2023 को सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक

/ केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आवास वित्त कंपनियों सहित) को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र आरबीआई/2023-24 / 40 विवि.एसटीआर.आरईसी.20 / 21.04. 048 / 2023-24 के द्वारा **दिशानिर्देश** जारी किया। **दिशानिर्देश** के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) को दबावग्रस्त खातों से संबंधित समझौता निपटान के लिए समय-समय पर विभिन्न अनुदेश जारी किए हैं। इनमें दिनांक 07 जून 2019 को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण रूपरेखा (**प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क**) भी शामिल है, जिसमें समझौता निपटानों को वैध समाधान योजना के रूप में मान्यता दी गई है। दिनांक 08 जून 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य जारी किया गया है। इस वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान को गति प्रदान करने के साथ-साथ सभी आरई के लिए अनुदेशों को युक्तिसंगत और सुसंगत बनाना आवश्यक है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि एक व्यापक विनियामकीय रूपरेखा जारी की जाए जिसके द्वारा उपर्युक्त परिपत्र में दिए गए विवरण के अनुसार सभी आरई को शामिल करते हुए समझौते के निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट ऑफ) को अभिशासित किया जाए। इस रूपरेखा के प्रावधान उन सभी आरई पर लागू होंगे जिन्हें यह परिपत्र संबोधित है। ये प्रावधान विवेकपूर्ण रूपरेखा के प्रावधानों अथवा दबावग्रस्त खातों के समाधान के लिए आरई पर लागू किसी भी अन्य दिशानिर्देशों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होंगे। ये अनुदेश रूपरेखा को परिचालन में लाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35ए; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 का अध्याय IIIB और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आरई द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2023 को सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र आरबीआई/2023-24/53 विवि.एमसीएस. आरईसी.28/01.01.001/2023-24 के द्वारा **दिशानिर्देश** जारी किया। **दिशानिर्देश के अनुसार** दंडात्मक ब्याज के प्रकटीकरण में तर्कसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ऋण देने वाली संस्थाओं के पास ब्याज की दंडात्मक दरें लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने की परिचालन स्वायत्तता है। यह पाया गया है कि कई आरई, ऐसी शर्तें जिन पर क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं, उधारकर्ता द्वारा उनकी चूक/गैर-अनुपालन किए जाने के मामले में, लागू ब्याज दरों के अलावा, दंडात्मक ब्याज दरों का प्रयोग कर रही हैं। दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना निर्माण करना है, न कि ऐसे शुल्क ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए है। हालाँकि, पर्यवेक्षी समीक्षाओं में दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने संबंध में आरई द्वारा भिन्न प्रथाएं जिनसे ग्राहकों में शिकायतें और विवाद उत्पन्न होते हैं, के उदाहरण मिले हैं। ऋणों पर दंडात्मक ब्याज/शुल्क वसूलने के लिए आरई द्वारा अपनाई गई प्रथाओं की समीक्षा करने पर, अपनाए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं: -

(i) उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर कोई दंड, यदि लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में माना जाएगा, और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जो अग्रिमों पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है। दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं

किया जाएगा अर्थात ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, इससे ऋण खाते में ब्याज चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होंगी।

(ii) आरई द्वारा ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं किए जाएंगे और इन दिशानिर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) आरई को दंडात्मक शुल्क अथवा ऋण पर समान शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी।

(iv) दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होगी और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अनुपालन न करने के अनुरूप होगी।

(v) 'व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए' स्वीकृत किए गए ऋणों के मामले में दंडात्मक शुल्क, महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से अधिक नहीं होगा।

(vi) दंडात्मक शुल्क की मात्रा और कारण आरई द्वारा ग्राहकों को ऋण समझौते और लागू होने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियम तथा शर्तों / मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, इसके अलावा आरई की वेबसाइट पर भी ब्याज दरों और सेवा शुल्कों के तहत प्रदर्शित किया जाएगा।

(vii) जब भी उधारकर्ताओं को ऋण के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का पालन न करने के लिए अनुस्मारक भेजे जाते हैं, तो लागू दंडात्मक शुल्क के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके अलावा, दंडात्मक शुल्क लगाने की किसी भी घटना और उसके कारण को भी सूचित किया जाएगा।

(viii) ये अनुदेश 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे। आरई द्वारा अपने नीतिगत ढांचे में उचित संशोधन किया जाए और प्रभावी तिथि से प्राप्त/नवीनीकृत किए गए सभी नए ऋणों के संबंध में उक्त अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मौजूदा ऋणों के मामले में, नई दंडात्मक शुल्क व्यवस्था में स्विचओवर अगली समीक्षा या नवीनीकरण तिथि या इस परिपत्र के प्रभावी होने की तारीख से छह महीने, जो भी पहले हो, पर सुनिश्चित किया जाए।

उपर्युक्त अनुदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21, 35ए और 56, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेए, 45एल और 45एम और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए के तहत जारी किए गए हैं और ये अनुदेश लागू आरई के प्रासंगिक मास्टर निदेशों/मास्टर परिपत्रों में अद्यतन किए जाएंगे। यह निर्देश क्रेडिट कार्ड, बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और संरचित बाध्यताएं जो उत्पाद विशिष्ट निदेशों के अंतर्गत आते हैं, उन पर लागू नहीं होंगे।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का परिचालन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 सितम्बर 2023 को सभी प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र आरबीआई/2023-24/58 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी. नंबर.एस-567/02-23-001/2023-24 के द्वारा **दिशानिर्देश** जारी किया। **दिशानिर्देश** में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 06 अप्रैल 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लिया, जिसमें बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों से/में हस्तांतरण को सक्षम करके यूपीआई के दायरे का विस्तार किया गया है। वर्तमान में, बचत खाता, ओवरड्राफ्ट खाता, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जा सकता है। जैसा कि घोषणा की गई है, यूपीआई का दायरा अब फंडिंग

खाते के रूप में क्रेडिट लाइनों को शामिल करके विस्तारित किया जा रहा है। इस सुविधा के तहत, व्यक्तिगत ग्राहक की पूर्व सहमति से, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा व्यक्तियों को जारी पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन के माध्यम से भुगतान, यूपीआई प्रणाली का उपयोग करके लेनदेन के लिए सक्षम किया जाता है। बैंक, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, ऐसी क्रेडिट लाइनों के उपयोग के नियम और शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। शर्तों में अन्य मदों के अलावा, क्रेडिट सीमा, क्रेडिट की अवधि, ब्याज दर आदि शामिल हो सकते हैं। यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के तहत जारी किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42(1ए) - अतिरिक्त सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 सितम्बर 2023 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों / सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र आरबीआई/2023-24/59 विवि.रिटर्न.आरईसी.34/12.01.001/2023-24 के द्वारा **दिशानिर्देश** जारी किया। **दिशानिर्देश** में भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त विषय पर दिनांक 10 अगस्त, 2023 के परिपत्र विव. रिटर्न.आरईसी.29/12.01.001/2023-24 से संबंधित अधिसूचना का संदर्भ लिया। जैसा कि 08 सितंबर, 2023 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई, समीक्षा के बाद, चरणबद्ध तरीके से वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आई-सीआरआर के तहत परिबद्ध की गई राशि को चरणों में जारी किया जाएगा ताकि प्रणाली की तरलता को आकस्मिक आघातों का सामना न करना पड़े और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके। राशियाँ निम्नानुसार जारी की जाएंगी:

दिनांक	जारी की जाने वाली राशि
09 सितंबर 2023	अनुरक्षित आई-सीआरआर का 25 प्रतिशत
23 सितंबर 2023	अनुरक्षित आई-सीआरआर का 25 प्रतिशत
07 अक्तूबर 2023	अनुरक्षित आई-सीआरआर का 50 प्रतिशत

■

घूमता आईना

(राष्ट्रीय खंड)

- डॉ. करुणेश तिवारी

गर्व के पल: श्री दास बने 'गवर्नर ऑफ दि ईयर'

भारतीय रिज़र्व बैंक के 25वें गवर्नर श्री शक्तिकांत दास को 2023 के लिए 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गवर्नर' 'Governor of the Year' चुना गया है।

शक्तिकांत दास को कोविड-19 के संक्रमण और उसके बाद रूस-युक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में मची भीषण आर्थिक उथल-पुथल और वैश्विक मंदी के बीच भारत में मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की नाव को सुरक्षित बाहर निकालने में उल्लेखनीय योगदान किया। साथ ही, उन्होंने सीबीडीसी की शुरुआत सहित बैंकिंग को प्रौद्योगिकी से जोडने की दिशा में भी कई अनुकरणीय प्रयास किए। उनके इसी योगदान के लिए **सेंट्रल बैंकिंग लंदन** द्वारा उन्हें 2023 के लिए यह खिताब दिया गया।

'सेंट्रल बैंकिंग लंदन' की एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान पत्रिका है, जो सालाना केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को सम्मानित-पुरस्कृत करती है। श्री शक्तिकांत दास के पहले श्री रघुराम राजन यह सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय गवर्नर थे। उन्होंने 2015 में यह खिताब जीता था।

सहायक महाप्रबंधक
विदेशी मुद्रा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

अदावित निधि का हल तलाशने की दिशा में रिज़र्व बैंक की मुहिम

बैंकिंग प्रणाली में एक बड़ी धनराशि ऐसी है, जिसका लंबे समय से कोई दावेदार नहीं है। इसे देखते हुए देश के केंद्रीय बैंक द्वारा '100 Days 100 Pays' अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत हर जिले में सभी बैंकों को अपने सर्वाधिक 100 अदावित जमाराशियों को 100 दिनों के भीतर उनके आधिकारिक मालिकों या दावेदारों को लौटाया जाना है ताकि उनका निपटान हो सके।

गौरतलब है कि किसी सरकारी बैंक खाते में 10 वर्षों तक कोई लेनदेन नहीं होता तो उसमें पड़ी राशि को अदावित राशि मान लिया जाता है और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक में खोले गये 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (DEA Fund) में जमा करा दिया जाता है। हालांकि, इसके बाद भी जमाकर्ता का न केवल इस राशि पर बल्कि इस पर मिलने वाले ब्याज पर भी अधिकार रहता है। फरवरी 2023 के आँकड़ों के अनुसार, इस निधि में जनता के 35,012 करोड़ रुपये पड़े हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अगस्त 2023 को आम जनता के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम UDGAM (Unclaimed Deposits – Gateway to Access inforMation) का शुभारंभ किया ताकि उनके लिए एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी अदावित जमाराशि का पता लगाना आसान हो सके।

इस पोर्टल पर यह सर्च सुविधा शुरुआत में सात बैंकों के लिए उपलब्ध कराई गई थी परंतु अब इस पर 30 बैंकों में मौजूद अदावित राशि को सर्च किया जा सकता है जो DEA Fund में पड़ी कुल अदावित राशि का लगभग 90% राशि है।

RBI गवर्नर ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड 'अंतर्दृष्टि' लॉन्च किया

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में 'अंतर्दृष्टि' (ANTARDRISHTI) नामक एक नए वित्तीय

समावेशन डैशबोर्ड का अनावरण किया। यह डैशबोर्ड वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन करने के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि और डेटा उपलब्ध कराएगा ताकि देश की अधिक से अधिक जनसंख्या को औपचारिक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए नीति निर्माण में सहायता मिल सके। गौरतलब है कि इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय करते हुए रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में वित्तीय समावेशन सूचकांक भी बनाया था।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाती इस पहल के तहत आरबीआई की योजना है कि वित्तीय समावेशन के कार्य से जुड़े सभी हितधारकों- सरकारी एजेंसियों, नियामकों और वित्तीय संस्थानों- को शामिल करते हुए परस्पर सहयोग और सहकारिता के आधार पर आगे बढ़ा जाए। यद्यपि, प्रारंभिक तौर पर 'अंतर्दृष्टि' पोर्टल को आरबीआई के भीतर आंतरिक उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है।

रिज़र्व बैंक अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता क्विज़ – नेशनल (अंतिम) राउंड दिनांक 14 सितंबर 2023 को मुंबई में आयोजित किया गया

देश के किशोरवय बालक-बालिकाओं में वित्तीय जागरूकता पैदा करने और वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण की विभिन्न बारीकियों से अवगत कराने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता क्विज़ आयोजित करता है। वर्ष 2023 के लिए आयोजित इस क्विज़ में सरकारी और म्यूनिसिपल स्कूलों के आठवीं, नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्र भाग लेते हैं। इस अनूठी पहल का विस्तार ब्लॉक, जिला और राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक था। क्विज़ में देश के 35 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के 51,694 स्कूलों के 1,03,388 छात्रों ने भाग लिया। जोनल राउंड की विजेता टीमों ने होटल ताज महल पैलेस, मुंबई में आयोजित नेशनल फाइनल में शिरकत की। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद नई दिल्ली के डॉ. भीम राव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के अमन गुप्ता और उत्कर्ष सुधाकर विजेता बने। विजेताओं को श्री रोहित जैन (ईडी) और श्री नीरज निगम (ईडी) द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

अब TReDS के अंतर्गत बीमा कंपनियाँ भी सहभागी

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बीमा कंपनियों को हितधारकों के रूप में भाग लेने की अनुमति देकर व्यापार प्राप्ति छूट प्रणाली (TReDS) को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के नकदी प्रवाह में सुधार करना और व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

उल्लेखनीय है कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए शुरू किया गया एक मंच है।

RBI ने 1,514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए चार प्रमुख उपाय अधिसूचित किए गए

केंद्र सरकार के सहयोग से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने देश में 1,514 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को सुदृढ़ बनाने के लिए चार महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर के बीच विस्तृत चर्चा के बाद इन पहलों की घोषणा की गयी।

आरबीआई ने जिन चार प्रमुख उपायों को अधिसूचित किया है, वे हैं- यूसीबी को नई शाखाएं खोलने की अनुमति देना, वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा प्रदान करना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाना और आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित करना शामिल है।

यूसीबी और आरबीआई के बीच बेहतर संचार और समन्वय की सुविधा के लिए, केंद्रीय बैंक के भीतर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। संपर्क का यह समर्पित बिंदु एक संपर्क के रूप में काम करेगा और यूसीबी द्वारा उठाए गए प्रश्नों, चिंताओं और शिकायतों का समाधान करेगा। नोडल अधिकारी की भूमिका यूसीबी और नियामक प्राधिकरण के बीच संबंधों को मजबूत करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और परिचालनों को सुचारु बनाने में महत्वपूर्ण होगी।

भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है तो जीडीपी में 7.6% औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज करनी होगी : भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन में उन महत्वपूर्ण विकास लक्ष्यों को रेखांकित किया है जिन्हें भारत को उच्च प्रति व्यक्ति आय के साथ एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए अगले 25 वर्षों में हासिल करना होगा। वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 2,500 डॉलर है। परंतु, विश्व बैंक के मानकों के अनुसार, 2047 तक उच्च आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए हमें प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को 21,664 डॉलर के पार ले जाना होगा। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश को 2023-24 से 2047-48 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) बनाए रखनी होगी।

विनियामक के तौर पर कड़ी निगरानी के लिए आरबीआई अब AI अपनाने की ओर अग्रसर : मैकिंजी और एक्सेंचर के साथ मिलकर काम करेगा केंद्रीय बैंक

आरबीआई ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कमर कस ली है ताकि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर विनियमन और पर्यवेक्षण को अधिक चुस्त और प्रभावी बनाया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही दो प्रमुख वैश्विक कंसल्टेंसी फर्मों, मैकिंजी एंड कंपनी इंडिया एलएलपी और एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया- को इस कार्य में देश के केंद्रीय बैंक ने अपना भागीदार बनाने का फैसला किया है।

यद्यपि आरबीआई पहले से ही AI और ML तकनीक का इस्तेमाल पर्यवेक्षी उद्देश्यों से कर रहा है तथापि, मैकिंजी और एक्सेंचर के साथ इस सहयोगी पहल के माध्यम से, आरबीआई का उद्देश्य डेटा माइनिंग में गहराई से उतरना है। इसका उद्देश्य डेटा के भीतर अंतर्निहित विशेषताओं को उजागर करना है जिनका रणनीतिक रूप से उपयोग करते हुए बेहतर और नवीन पर्यवेक्षी अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सके।

स्टार (*) प्रतीक वाले बैंकनोट किसी भी अन्य कानूनी बैंकनोट के समान हैं : RBI

'स्टार सीरीज' बैंकनोट आरबीआई द्वारा दोषपूर्ण मुद्रण वाले नोटों को बदलने के लिए छापे जाते हैं। उनका नंबर भी वही होता है परंतु उनमें प्रीफिक्स और नंबर के बीच एक * लगा दिया जाता है। ऐसे नोटों की शृंखला को स्टार सीरीज़ कहा जाता है और ये नोट पूरी तरह वैध हैं। स्टार (*) इस बात का प्रतीक होता है कि यह नोट एक प्रतिस्थापित/ पुनर्मुद्रित नोट है।

पूर्वोत्तर भारत में आरबीआई की उपस्थिति बढ़ी : कोहिमा और ईटानगर में उप कार्यालय

कोहिमा में उप-कार्यालय का उद्घाटन और ईटानगर में एक कार्यालय की आगामी स्थापना पूर्वोत्तर भारत में अपनी उपस्थिति और जुड़ाव बढ़ाने के लिए आरबीआई के ठोस प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में एक उप-कार्यालय खोलकर पूर्वोत्तर भारत के लोगों की वित्तीय जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने हेतु अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा ने कोहिमा में उप-कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बैंक ने ईटानगर में एक कार्यालय स्थापित करने के अपने इरादे की घोषणा की है। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

भारत ने सफलतापूर्वक की जी-20 की अध्यक्षता

देश की राजधानी नई दिल्ली में बनाए गए भव्य **भारत मंडपम** परिसर में 9-10 सितंबर 2023 को 18वाँ जी-20 सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में अफ्रीकी संघ इस समूह का 21वाँ सदस्य बना। वर्ष 1999 में गठित जी-20 की अध्यक्षता करने का अवसर भारत को दिसंबर 2022 में प्राप्त हुआ था।

यह एक अन्तर-सरकारी मंच है जिसमें 19 सम्प्रभु राज्य और यूरोपीय संघ मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दों, जैसे अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार

निरोध और संधारणीय विकास जैसे सार्वभौमिक महत्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं। जी-20 का सम्मेलन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होता है। प्रत्येक वर्ष इसकी अध्यक्षता का अवसर बारी-बारी से किसी एक सदस्य देश को मिलता है। कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्रियों सहित सरकार एवं महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के प्रमुख एवं शीर्ष अधिकारी, सिविल सोसाइटी के सदस्य भी जी-20 से जुड़े विविध आयोजनों का हिस्सा बनते हैं।

भारत में जी-20 से संबंधित बैठकों के आयोजन में दो ट्रैक समानांतर रूप से कार्य कर रहे थे। शेरपा ट्रैक के माध्यम से भारत सरकार द्वारा आयोजन किए गए और वित्त ट्रैक के माध्यम से देश के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों में आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को दुनिया के सम्मुख रखा। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन, संधारणीय वित्त जिसमें निवेश के पर्यावरण, सामाजिक एवं राजनीतिक हितों पर पड़ने वाले प्रभावों के मद्देनज़र चर्चा की गयी। रिज़र्व बैंक ने पूरे देश में जन-भागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें अनेक प्रतियोगिताओं, साइकिल दौड़, चित्र बनाओ, निबंध लेखन आदि के ज़रिए 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का संदेश दिया गया। आरबीआई के अंतरराष्ट्रीय विभाग ने इन आयोजनों की बागडोर सँभाली। आरबीआई के गवर्नर, सभी उप गवर्नर और अनेक अन्य वरिष्ठ कार्यपालक इन आयोजनों का हिस्सा बने। अनेक देशों ने भारत के यूपीआई, सीबीडीसी और भुगतान प्रणाली में रुचि दर्शायी और इन क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी की इच्छा भी जतायी। अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थानों जैसे आईएमएफ, विश्व बैंक, बीआईएस और ओईसीडी ने रिज़र्व बैंक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आयोजन में सहयोग किया और *'एक, पृथ्वी-एक कुटुंब-एक भविष्य'* के लक्ष्य की ओर एक साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया।

बीआईएस और आरबीआई ने G20 TechSprint 2023 के विजेताओं की घोषणा की

जी-20 की अध्यक्षता कर रहे भारत ने सीमा-पार भुगतान में सुधार लाने के लिए बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटिलमेंट (बीआईएस) के साथ मिलकर एक विश्वस्तरीय स्पर्धा जी 20 टेकस्प्रिंट 2023 चैलेंज आयोजित की थी। इसमें सीमा-पार भुगतान के विषय से जुड़े तीन समस्या कथन दिए गये थे और प्रतिभागियों को उनके लिए कारगर समाधान सुझाना था।

मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम घोषित किए गए। तीनों समस्या कथनों के लिए परिणाम इस प्रकार रहे:-

समस्या कथन # 1: वित्तीय अपराधों का मुकाबला करना

विजेता: टीम सेक्रेटेरियम लिमिटेड (यूके)

समाधान: लेनदेन की निगरानी और गोपनीयता संरक्षण

समस्या कथन # 2: सीमा पार भुगतान में तरलता बढ़ाना

विजेता: टीम मिलिसेंट लैब्स (यूके)

समाधान: सीबीडीसी के लिए हाइब्रिड विकेन्द्रीकृत विनिमय

समस्या कथन # 3: बहुपक्षीय सीबीडीसी प्लेटफार्मों का विकास

विजेता: टीम नॉक्स नेटवर्क (यूएस)

समाधान: फ़ाइल-आधारित डिजिटल परिसंपत्तियों (FBDA) पर आधारित बहुपक्षीय सीबीडीसी

उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता के विजेताओं का निर्धारण करने के लिए जो पैनल चुना गया था, उसमें भारत के एनपीसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित बैंकिंग, वित्त और वित्तीय प्रौद्योगिकी से जुड़ी विश्व की 8 बड़ी हस्तियाँ शामिल थीं।

डिज़िटल लेनदेन में भारत नं. 1

भारत वर्ष 2022 के लिए डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है। डिजिटल लेनदेन के मूल्य और

मात्रा दोनों के मामले में भारत ने अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया है। यह जानकारी भारत सरकार के MyGovIndia पोर्टल से निकलकर आयी है। इससे देश में विकसित डिजिटल भुगतान प्रणाली की मजबूती और उसकी स्वीकार्यता का परिचायक है।

आंकड़ों बताते हैं कि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत में 8.95 करोड़ डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए। यह वर्ष 2022 में दुनिया में हुए कुल तत्काल निपटान वाले भुगतान का 46 प्रतिशत हिस्सा था। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत के बाद जो चार देश इस सूची में स्थान रखते हैं, उनके सम्मिलित लेनदेन से भी अधिक था।

प्रसंगवश, 31 जनवरी 2023 को घोषित रिज़र्व बैंक के डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI) ने भारत में डिजिटल भुगतान में 13.24% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी है।

अब यूपीआई होगा और भी सुविधाजनक : रेज़रपे ने लांच किया 'Turbo UPI'

अग्रणी फिनटेक यूनिकॉर्न रेजरपे ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) नेटवर्क के लिए एक क्रांतिकारी वन-स्टेप पेमेंट सॉल्यूशन 'Turbo UPI' पेश किया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) और एक्सिस बैंक के सहयोग से तैयार किए गए इस 'Turbo UPI' का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जिससे उन्हें चेकआउट के दौरान तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप पर रीडायरेक्ट किए बिना सीधे भुगतान करने की अनुमति मिलती है।

रेज़रपे लेनदेन को निर्बाध और न्यूनतम असुविधा के साथ निपटाने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाली बड़ी भारतीय फिनटेक यूनिकॉर्न है जो आईआईटी, रूड़की के पूर्व छात्रों द्वारा खड़ी की गयी है। रेज़रपे का उद्देश्य स्वच्छ, डेवलपर-अनुकूल एपीआई और परेशानी मुक्त एकीकरण प्रदान करके ऑनलाइन व्यवसायों के लिए धन प्रबंधन में क्रांति लाना है।

पेटीएम द्वारा UPI SDK पेश किए जाने के कुछ ही समय बाद रेजरपे ने 'Turbo UPI' लॉन्च किया है। दोनों समाधानों का उद्देश्य ऑनलाइन व्यापारियों के लिए इन-ऐप यूपीआई भुगतान की सुविधा प्रदान करना है, जिससे तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप को रीडायरेक्ट करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। हालांकि पेटीएम का UPI SDK भी समान रूप से कार्यक्षम करता है, तथापि 'Turbo UPI' व्यापारियों को पूरे भुगतान अनुभव पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है और इससे मर्चेंट को उपयोगकर्ता के व्यवहार को भी बारीकी से समझने की अंतर्दृष्टि मिलती है।

'Turbo UPI' लांच किए जाने का अभिप्राय यह भी है कि भारत में यूपीआई की लोकप्रियता पसंदीदा डिजिटल भुगतान विधि के रूप में लगातार बढ़ती जा रही है।

विलय के बाद एचडीएफसी हुआ दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की ज़मात में शामिल

1994 में स्थापित भारत के घरेलू बैंक HDFC बैंक लिमिटेड का विलय 01 जुलाई 2023 को हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनांशियल कॉर्पोरेशन लिमि. के साथ हो जाने के बाद अब यह जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड और बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प. जैसी दुनिया की सबसे बड़ी ऋणदाता बैंकिंग कंपनियों में शामिल हो गया है और उनके साथ प्रतिस्पर्धा को तैयार है। एचडीएफसी ने इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में चौथा स्थान हासिल किया है। लगभग 172 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ यह नई इकाई वैश्विक बैंकिंग परिदृश्य को नये सिरे से परिभाषित कर रही है।

इससे पहले मई 2023 में सेबी ने HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी का स्वामित्व एचडीएफसी बैंक को दिए जाने को मंजूरी प्रदान की थी।

यस बैंक का नया लोगो : 'टिक' बना ऊँची उड़ान भरती चिड़िया

एक भरोसेमंद ब्रांड के रूप में अपनी नयी पहचान बनाने के लिए प्रयासरत यस बैंक ने मई 2023 माह में नया लोगो अपना लिया है।

उल्लेखनीय है कि उधार देने में हुई धोखाधड़ी के मद्देनज़र यस बैंक पर आरबीआई को वर्ष 2018 में अधिस्थगन (मोरेटोरियम)

लगाना पड़ा था। उसके बाद 2020 में इस बैंक को बचाने के लिए यस बैंक पुनर्रचना योजना लायी गयी और तब से इस बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने और फिर से लाभप्रदता की स्थिति में पहुँचने के लिए कई कदम उठाए हैं।

भारत का पहला यूपीआई-एटीएम

भारत का पहला यूपीआई-एटीएम, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के सहयोग से हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा पेश किया गया। यह एक व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) है। इससे भौतिक एटीएम कार्ड के बिना नकदी की **क्यूआर-आधारित** निकासी निर्बाध तरीके से की जा सकती है।

इसे इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल (आईसीसीडब्ल्यू) प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है जिसमें कम्पैटिबल एटीएम से यूपीआई ऐप के माध्यम से प्रति लेनदेन ₹10,000/ का आहरण किया जाता है।

बैंकिंग को पर्यावरण हितैषी बनाने की पहल

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने मौजूदा और नये बचत खाता ग्राहकों के लिए इको-फ्रेंडली डेबिट कार्ड जारी करते हुए भारतीय बैंकिंग जगत में एक नयी शुरुआत की है। ये कार्ड पॉली विनाइल क्लोराइट (r-PVC) के बने हुए होंगे जिसे रिसाइकिल किया जा सकेगा।

अब भारत में भी विडियो बैंकिंग सेवा

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU Small Finance Bank) ऐसा पहला बैंक बना है जो 24×7 लाइव वीडियो बैंकिंग समाधान पेश करेगा। इस अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से समर्पित बैंकर ग्राहकों को किसी भी समय, किसी भी दिन लाइव वीडियो इंटरैक्शन के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करेंगे। तकनीक-प्रेमी युवा ग्राहकों को तो यह प्रौद्योगिकी समर्थित विडियो बैंकिंग आकर्षित करेगी ही, साथ ही, ज्यादा व्यस्त रहने वाले पेशेवरों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इससे सुविधाजनक बैंकिंग अनुभव मिल सकेगा, ऐसा माना जा रहा है।

■

घूमता आईना

(अंतरराष्ट्रीय खंड)

- डॉ. गौतम प्रकाश

यूरोपीय केंद्रीय बैंक की वित्तीय स्थिरता समीक्षा

मार्च माह में विश्व के दो विशाल बैंक धराशायी हो गए – सिलिकॉन वैली बैंक (अमरीका) और क्रेडिट सुइस (स्विट्ज़रलैंड)। ऐसे बड़े बैंकों का धराशायी होना केंद्रीय बैंकों के लिए एक अत्यंत चिंताजनक विषय है, इसलिए वे समय-समय पर अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को बड़े ध्यान से देखते रहते हैं और वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता का जायज़ा लेते रहते हैं। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने गत मई माह में एक विस्तृत समीक्षा की और यह बताया कि यद्यपि हाल के दिनों में यूरोप के बैंक मजबूती के साथ डटे रहे हैं, तथापि नीति-निर्माताओं के लिए यह समय आराम करने का कतई नहीं है। बैंक ने बताया कि बढ़ी हुई महंगाई और ब्याज दरें, दोनों उपभोगताओं और निर्माताओं पर दबाव डाल रही हैं। यूरोप में महंगाई की दर अक्तूबर 2022 में 10.6% तक पहुँच गई थी, लेकिन अप्रैल 2023 में वह 7% हो गई – जबकि यूरोपीय केंद्रीय बैंक का मुद्रास्फीति लक्ष्य 2% का ही है। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर को -0.5% (जुलाई 2022) से बढ़ाते-बढ़ाते 3.25% (मई 2023) कर दिया है। कमजोर साख वाले बैंकों के लिए इस सब का सामना करना आसान नहीं है। बढ़ते दामों से परेशान होकर उपभोगता व्यय करना कम देते हैं, जिससे निर्माताओं की सामग्री कम बिकती है और ऋण चुकाने की उनकी क्षमता कमतर हो जाती है। इस सब से बैंक अछूते नहीं रह सकते। दूसरी ओर, महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दर बढ़ाए जाते हैं, परंतु इससे बैंकों का खर्च बढ़ता है (जमा करनेवालों को ब्याज देने में), लेकिन बैंकों से ऋण लेने से निर्माता और उपभोगता कतराने लगते हैं - जिससे उनकी साख पर असर पड़ सकता है। बढ़ते ब्याज के कारण ज़मीन-जायदाद के बाज़ार में मांग की कमी हो सकती है और वहाँ दाम लड़खड़ा सकते हैं, जो कि वित्तीय स्थिरता के लिए एक चुनौती बन सकती है। बैंक ने यूरोप के लिए एकीकृत जमा बीमा योजना की आवश्यकता पर जोर दिया।

महाप्रबंधक
प्रवर्तन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

आर्थिक समस्याओं से जूझता अर्जेंटीना

अर्जेंटीना में प्रथा रही है कि सरकार के बजट के घाटे को केंद्रीय बैंक पूरा करेगा, हालांकि इसमें मुद्रास्फीति का जोखिम रहता है। यही जोखिम देश की असलियत में तब्दील हो गया जब कोरोना महामारी के बाद विश्व पुनः सामान्य स्थिति की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ बेकाबू होती महंगाई के आसार दिखने लगे – और अर्जेंटीना भी इसकी चपेट में आ गया। अप्रैल 2023 में मुद्रास्फीति की दर शतक के भी ऊपर (108.8%) पहुँच गई और केंद्रीय बैंक का पूर्वानुमान है कि यह इसी वर्ष 148.9% तक चली जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि सरकारी ऋण देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 83.2% है (2022 के आंकड़े) और इसका अधिकांश भाग (63%) देश के ही निवेशकों के हाथों में है। अर्थात, केंद्रीय बैंक ने सरकारी बजट के घाटे को पूरा करने पर जो बॉण्ड पाये, वह उसने देश में ही निवेशकों को बेच दिये (ऐसा अक्सर मांग को नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है)। इससे सरकार के लेनदार देश के ही रहे और विदेशी लेनदारों के ऊपर निर्भरता कम की जा सकी। फिर भी,

ऋण सेवा का भार सरकार पर बना ही रहा। इस वर्ष अकेले ब्याज का भार 1,540 करोड़ अमरीकी डॉलर के बराबर हो गया था, जो अपने-आप में चिंता का विषय बन गया था। विगत 8 जून को सरकार ने सभी बॉण्ड निवेशकों से वार्ता पूरी कर ली और उसने उनमें से 78% को इस बात के लिए मना लिया कि वे ऋण की अवधी बढ़ा देंगे (उनसे पुराने बॉण्ड ले लिए जाएंगे और नए बॉण्ड दिये जाएंगे जिनकी ऋण सेवा तिथियाँ भिन्न होंगी - इस व्यवस्था को 'डेट स्वैप' कहते हैं)। अर्जेंटीना की वित्तीय स्थिति इतनी गंभीर है कि विश्व वित्तीय बाज़ार में उससे कोई सौदा करने के लिए राजी नहीं है। केवल IMF का सहारा है लेकिन वहाँ शर्त यह है कि देश केंद्रीय बैंक से वित्तीय मदद पर विराम लगाए।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के अमान्य करने वाला कानून अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में पारित

विश्व के कई देशों में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पर गहन मंथन हो रहा है। कुछ देशों में ऐसी मुद्रा को तो जारी किया जा चुका है, जैसे कि नाइजीरिया, जमैका और बहामास, और भारत समेत कुछ देशों में इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में भी अभी मंथन चल रहा है। सरकार व केंद्रीय बैंक की तरफ से कोई ठोस निर्णय आना बाकी है, लेकिन उस पर संशय करनेवालों की जमात भी मुखर हो रही है। मई माह में अमरीका के ही एक राज्य (फ्लोरिडा) में एक कानून पारित किया गया है जिसके अनुसार राज्य में किसी भी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को करेंसी (मुद्रा) का स्थान नहीं दिया जाएगा – चाहे वह स्वयं अमरीका की ही क्यों न हो। तर्क यह है की ऐसी मुद्रा के प्रचलन में आने से सरकार को किसी व्यक्ति या संस्था के निजी मामलों में दखल डालने का अवसर मिल जाएगा और इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लग जाएगा, जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है।

इथियोपिया में भी मोबाइल मनी का परचम लहराया

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में मोबाइल मनी के द्वारा क्रांति लाई जा सकती है - यह बात तो विश्व को केन्या के 'एम-पैसा' से ही पता चली थी। वर्ष 2007 में शुरू की गयी इस सुविधा ने आनन-फानन में देश के कोने-कोने में अपनी धाक जमा ली। अन्य विकासशील देशों की तरह भारत ने भी केन्या और 'एम-पैसा' से भरपूर प्रेरणा ली। अब केन्या की ही तरह अफ्रीका के एक और देश में मोबाइल मनी का परचम लहरा रहा है। पूर्व अफ्रीका में स्थित इथियोपिया की जनसंख्या तकरीबन 12 करोड़ की है, परंतु वित्तीय समावेशन की दर यहाँ 37% के आस-पास ही है। मोबाइल फोन की पहुँच इससे कहीं अधिक है – लगभग 57%। इसके अतिरिक्त, देश में हर साल करीब-करीब 420 करोड़ अमरीकी डॉलर के बराबर का विप्रेषण (रेमीटन्स) आता है। देश के केंद्रीय बैंक, नेशनल बैंक ऑफ इथियोपिया ने मोबाइल मनी के आगमन और विस्तार का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है – वह चाहता है कि इसकी मदद से देश की वित्तीय सेवा उद्योग में कुशलता बढ़े, उसमें सुरक्षा बढ़े और वह और पारदर्शी बने। इस दिशा में सबसे पहले वहाँ, वर्ष 2021 में, घरेलू दूरभाष कंपनी टेलेबीर को अवसर प्रदान किया कि वह मोबाइल मनी सुविधा देना शुरू करे। केवल चंद महीनों में ही टेलेबीर ने 40 लाख उपभोगता इकट्ठे कर लिये – और अब तो उसके पास 2.8 करोड़ से भी अधिक उपभोगता हैं। मांग के आधिक्य को देखकर गत मई माह में केंद्रीय बैंक ने विदेशी कंपनी, सफारीकोम (जो कि एम-पैसा सुविधा देती है) को भी मोबाइल मनी का लाइसेन्स दे दिया। सफारीकोम के अधिकारी मान रहे हैं कि केवल एक दशक में उनका व्यवसाय केन्या जितना विशाल बन सकेगा और वे इस योजना को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

आयरलैंड के केंद्रीय बैंक में ऋण-संबन्धित आंकड़ों में गड़बड़ी

आयरलैंड में केंद्रीय बैंक ऋण लेने वालों के बारे में आंकड़े इकट्ठा करता है और इसके आधार पर वह उन्हें 'क्रेडिट स्कोर' देता है, जिसे वह ऋण देने वाली संस्थाओं को उपलब्ध कराता है, ताकि वे उचित ऋण-संबंधित निर्णय ले सकें। यदि किसी ने भी 500 यूरो या उससे अधिक ऋण लिया हो, तो उसके बारे में अनेक प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है – जैसे कि

ऋण की राशि, ऋण-करार का प्रकार (क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट, इत्यादि), ऋण लेने वाले पर लागू होने वाली शर्तें और उनका पालन, आदि-आदि। यह आंकड़े पाँच वर्षों तक रखे जाते हैं और इसके बाद इन्हें अलग से सुरक्षित कर 'आंकड़ों के गोदाम' में रखा जाता है। अर्थ यह है कि किसी के पिछले पाँच सालों के ऋण की जानकारी उसके अगले ऋण के मिलने/ न मिलने तथा ऋण पर लगने वाले ब्याज-दर को प्रभावित कर सकती है। परंतु हाल में इस व्यवस्था में एक समस्या दिखी – यह पाया गया कि इस वर्ष जून, जुलाई और अगस्त के दौरान ऋण लेने वालों के पाँच वर्ष से पहले के आंकड़े 'आंकड़ों के गोदाम' में नहीं रखे गए – बल्कि इन्हें भी 'क्रेडिट स्कोर' के निर्माण में शामिल किया गया। 'क्रेडिट स्कोर' ऋण देनेवालों के साथ साझा भी किए गए। बहुत संभव है कि इन 'क्रेडिट स्कोर' ने ऋण देने वाली संस्थाओं के द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित किया होगा। केंद्रीय बैंक ने जनमानस को आश्वस्त करते हुए बताया कि इस त्रुटि की पहचान होने के बाद, चंद दिनों में ही सुधार-कार्य संपन्न किया गया और इस बात की पुष्टि की गयी कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति/संस्था को ये आंकड़ों न मिल गए हों। अब केंद्रीय बैंक यह पता लगा रहा है कि जून और अगस्त 2023 के दौरान किन ऋण लेने वालों को इस गड़बड़ी का खामियाजा भुगतना पड़ा होगा और वह उन्हें पुनः ऋण के लिए अर्जी देने के लिए प्रेरित करने की सोच रहा है।

मुद्रास्फीति की मार निचले तबके पर अधिक

अर्थशास्त्री लंबे समय से मानते रहे हैं कि मुद्रास्फीति आर्थिक असमानता को बढ़ाती है, उसे और भी गंभीर बना देती है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की समस्याओं से बाहर निकलते ही मुद्रास्फीति ने अमरीका और अन्य विकसित देशों को त्रस्त करना शुरू कर दिया था। पिछली फरवरी में रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ने से यह समस्या और जटिल हो गयी। अब अमरीका के सैंट लूई के फेडरल रिज़र्व बैंक के शोधकर्ताओं ने यह जानकारी साझा की है कि न केवल निचली आय परंतु मध्यम आय वाले तबके में भी लोग जरूरत के खर्चों में कटौती करने पर बाध्य हो रहे हैं। अमरीका में औसत पारिवारिक आय 58,600 डॉलर प्रति वर्ष (2019) है और जिन परिवारों की आय 50,000 डॉलर या उससे कम है, वे स्वयं को लाचारी के दलदल में फंसा पा रहे हैं। हर बड़ी खरीददारी को आगे के लिए टाला जा रहा है, भविष्य के लिए बचत कम की जा रही है – यहाँ तक कि चिकित्सा प्रक्रियाओं को लोग आज की जगह कल पर छोडने पर मजबूर हो रहे हैं। कई लोग एक की जगह दो शिफ्टों में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मुख्य काम के अलावा अन्य काम भी पकड़ लिए हैं। इसके अलावा कर्ज पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, कई लोग अपनी मूल्यवान वस्तुओं को बंधक रखने पर बाध्य हो रहे हैं। शोधकर्ताओं ने बताया है कि बढ़ते दाम जब किसी स्तर पर स्थिर हो जाएंगे, तब भी आज के मजबूरी में लिए निर्णय समाज को प्रभावित करते रहेंगे। यही अगर उच्च-स्तरीय परिवारों को देखें (औसत आय– 1 लाख डॉलर प्रति वर्ष या उससे भी अधिक) तो आर्थिक तनाव उन पर भी दिखता है परंतु इसकी गहनता निम्न एवं मध्यम आय वाले परिवारों के मुक़ाबले मात्र 25.5% है।

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में साझा भुगतान प्रणाली का विकास

पिछले वर्ष नवंबर माह में दक्षिण-पूर्वी एशिया के पाँच राष्ट्रों के केंद्रीय बैंकों ने यह निर्णय लिया कि वे अपनी-अपनी भुगतान प्रणालियों को परस्पर जोड़ लेगें और इस प्रकार धनराशियों को राष्ट्रीय सीमाओं के पार भेजने के कार्य को अत्यंत सुचारु और गतिशील बना देंगे। ये पाँच देश थे– इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अगस्त 2023 के अंत में वियतनाम भी इस पहल से जुड़ गया। इन देशों का मानना है कि ऐसी विकसित और जुड़ी हुई प्रणाली का लाभ पर्यटन और सेवा क्षेत्र को फौरन मिल सकेगा – जिसमें लघु और मध्यम उद्यम बड़ी संख्या में देखे जाते हैं। आगे चलकर इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय समावेशन में भी मदद मिलेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों ने आपस में भुगतान प्रणालियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण

कदम उठाए हैं – सिंगापुर एवं मलेशिया ने आपस में क्यू.आर. कोड पर आधारित भुगतान प्रणाली साझा की है। इससे मिलती-जुलती व्यवस्था मलेशिया और इंडोनेशिया ने और कंबोडिया और लाओस ने आपस में की है। इसके अलावा भी कुछ व्यवस्थाएँ अभी योजना स्तर पर हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड ने आपस में एक समझौता किया है कि आपस के व्यापार में वे घरेलू मुद्राओं के प्रयोग पर बल देंगे। आगे चलकर आपसी निवेश में भी वे घरेलू मुद्राओं के प्रयोग को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे।

सिंगापुर में रवि मेनन केंद्रीय बैंक गवर्नर के पद से पृथक हो जाएंगे

भारतीय मूल के श्री रवि मेनन गत 12 वर्षों से सिंगापुर के केंद्रीय बैंक (मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर) के मुखिया रहे हैं। मई 2023 में पिछले कार्यकाल समाप्त होने पर देश की सरकार ने उन्हें दो वर्षों के लिए फिर से नियुक्त किया था। परंतु सरकार ने अब यह घोषणा की है कि इसी वर्ष दिसंबर माह के अंत में श्री मेनन अपने मौजूदा पद से पृथक हो जाएंगे। उनके स्थान पर श्री चिया देर जीऊँ, 01 जनवरी 2024 से केंद्रीय बैंक गवर्नर के पद पर आसीन हो जाएंगे। श्री जीऊँ का कार्यकाल केंद्रीय बैंक में काफी लम्बा रहा है और वे वर्तमान में केंद्रीय बैंक के उप-गवर्नर के पद पर आसीन हैं। उनका अनुभव मुद्रा नीति एवं विदेशी मुद्रा कोष के प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रहा है। इसके अलावा वे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी दो वर्ष तक एक वरिष्ठ पद पर काम कर चुके हैं। सिंगापुर में 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से जूझने में उनका विशेष योगदान रहा। साथ ही, वे सिंगापुर जमा बीमा निगम के जनक रहे हैं। केंद्रीय बैंक में सूचना प्रणाली के आधुनिकीकरण में भी उनकी अहम भूमिका रही है – और जब कोरोना महामारी का चुनौती पूर्ण समय आया, तब उनके इस काम की महत्ता सभी को साफ-साफ दिखने लगी।

ब्रिक्स बैंक ने रैंड मुद्रा में बॉन्ड निकाले

विश्व की पाँच बड़ी विकासशील देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) से बनी संस्था है "ब्रिक्स"। इसने वर्ष 2015 में एक नई वित्तीय संस्था बनाई - 'न्यू डेवलपमेंट बैंक', जिसे आम तौर पर 'ब्रिक्स बैंक' बुलाया जाता है। ब्रिक्स बैंक पर नज़र रखने वाले यह कह रहे हैं कि यह संस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पूंजी बाज़ार और ऋण के क्षेत्रों से अमरीकी डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने की मुहिम शुरू करेगी। रूसी सांसद अलेक्जेंडर बाबाकोव की मानें तो ब्रिक्स एक साझा मुद्रा के निर्माण में लगी है, जो अमरीकी डॉलर को टक्कर दे सकेगी। लेकिन बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी, लेस्ली मास्ड्रोप का कहना है कि बैंक यह चाहती है कि डॉलर के साथ-साथ अन्य मुद्राओं का प्रयोग भी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य एवं निवेश में हो। नई मुद्रा बनाने का प्रोजेक्ट सुदूर भविष्य में ही संभव है। इसी दिशा में अगस्त 2023 में, बैंक ने दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा (रैंड) में निर्मित बॉन्ड को निवेशकों के सामने रखा। बैंक की योजना 100 करोड़ रैंड के बॉन्ड विक्रीत करने की थी परंतु निवेशकों का उत्साह देखकर बैंक ने 150 करोड़ रैंड के बॉन्ड बेचे। इसमें से दो-तिहाई बॉन्ड पाँच साल की अवधि के होंगे और शेष तीन साल की अवधि के। बॉन्ड के क्रय से अर्जित राशि का प्रयोग इनफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण एवं विकास पर केन्द्रित प्रोजेक्टों के लिए किया जाएगा। बैंक निवेश का लगभग 30% हिस्सा रैंड में लगाएगा। वर्ष 2021 में ब्रिक्स बैंक ने तकरीबन 1000 करोड़ डॉलर के बॉन्ड बेचे थे, जिसमें 75% अमरीकी डॉलर में थे और बाकी (अधिकतर) चीनी मुद्रा में। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है और इसकी मुखिया डिलमा रौस्सेफ हैं, जो पूर्व में ब्राज़ील की राष्ट्रपति थीं।

■

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

सदस्यता फार्म

प्रबंध संपादक
'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

महोदया/महोदय,

मैं तीन वर्षों के लिए 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का ग्राहक बनना चाहता/चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित ब्योरे के अनुसार मुझे नियमित रूप से पत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमांक (यदि पहले से सदस्य हैं) : _____

नाम(स्पष्टअक्षरोंमें):श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी_____

पता (स्पष्ट अक्षरों में) :_____

_____

केंद्र_____ पिन कोड _____

मोबाइल नं. _____ टेलीफोन नं. (कार्यालय) _____ निवास_____

फैक्स नं. _____ एसटीडी कोड _____

ई मेल पता: _____

दिनांक: _____

भवदीय/या

(हस्ताक्षर)

लेखकों से / पाठकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं है। हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए।

बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाजार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा-बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण, मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :

1. क. आपके द्वारा भेजा गया लेख बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है। यह भी सुनिश्चित करें कि लेख मौलिक विचारों पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।

   ख. लेख में किसी समसामयिक बैंकिंग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर, समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ हो।

   ग. लेख बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन) को प्रोत्साहन मिले।

   घ. लेख ऐसी बैंकिंग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिंग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक बने।

   ङ. लेख भारतीय बैंकिंग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में हो जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकें।

2. लेख में नवीनतम और अद्यतन तथ्यों एवं आँकड़ों का उपयोग करें और उनके स्रोत/संदर्भ/वेबपेज/साइट/लिंक आदि का एकदम स्पष्ट उल्लेख करें।

3. क. लेख न्यूनतम 05 पृष्ठों के हों तथा यूनिकोड मंगल फॉन्ट (12 प्वाइंट) में ही टंकित हों। पीडीएफ़ के साथ वर्ड फ़ाइल भी संलग्न करें।

   ख. वह कागज की एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।

   ग. लेख में यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हों। भाषा सरल-सहज हो और व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियाँ बिल्कुल न हों।

   घ. लेख chintananuchintan@rbi.org.in / rajbhashaco@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर ही भेजने की व्यवस्था की जाए।

4. इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

5. लेखक अपने पत्राचार का पता, फोटो, ई-मेल आईडी एवं टेलीफोन / मोबाइल नंबर अवश्य दें।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन / अप्रैल - सितंबर 2023
पंजीकरण संख्या: 47043/88

अनिश्चित दौर में केंद्रीय बैंकिंग : भारतीय अनुभव
जलवायु परिवर्तन : एक उभरता वित्तीय जोखिम
भारत की G-20 अध्यक्षता : एक महत्वपूर्ण पड़ाव
एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म
सूक्ष्मवित्त ऋण : एक ऐतिहासिक परिवर्त्तन
डिजिटल मुद्रा का वर्तमान और भविष्य
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका
भारत में डिजिटल क्रांति
वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में फ्रीबीज़ का औचित्य
रेग्युलेटर की नजर से
घूमता आईना